



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102026-277305
CG-DL-E-21102026-277305

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 831]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948

No. 831]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. 902(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 की उप-धारा (बी), (ग), (डीए), (डीबी), (ड.), (एच), (एफएफ), (आई), (के) और (क्यू), धारा 139 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और धारा 211क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्ष एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“4. पता, आयु और पहचान की सत्यता के संबंध में साक्ष्य-

(1) इस अध्याय के अंतर्गत अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदक को अपने पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक या अधिक मूल दस्तावेज या उनके प्रासंगिक अंश स्व-सत्यापित करके प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्—

(क) आधार कार्ड,

(ख) मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी कार्ड),

(ग) पासपोर्ट,

(घ) ई-राशन कार्ड,

(ङ.) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य नियामक या वैधानिक निकाय द्वारा जारी किया गया सेवा (सर्विस) फोटो पहचान पत्र,

(च) पेंशनभोगी फोटो पहचान पत्र या स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य नियामक अथवा वैधानिक निकाय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश,

(छ) बिजली का बिल, जो आवेदन जमा करने की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना न हो।

(ज) घरेलू गैस बिल, जो आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना न हो।

(झ) कोई अन्य दस्तावेज, जो राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 28 के खंड (के) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं,

(ञ) विदेशी नागरिकों के मामले में निवास प्रमाण के अतिरिक्त भारत में कानूनी रूप से उपस्थित रहने का प्रमाण।

(2) इस अध्याय के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक को अपनी आयु या जन्मतिथि के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक या अधिक मूल दस्तावेज या उनके प्रासंगिक अंश स्व-सत्यापित रूप में प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्—

(क) पासपोर्ट,

(ख) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, मानित (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अंकसूची (मार्कशीट), जिसमें आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो।

(ग) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र,

(घ) केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य नियामक निकाय या वैधानिक निकाय द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र,

(ङ.) पेंशनभोगी फोटो पहचान पत्र या स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य नियामक या वैधानिक निकाय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश,

(च) कोई अन्य दस्तावेज, जो राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 28 के खंड (के) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) इस अध्याय के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदक को अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक या अधिक मूल दस्तावेज या उनके प्रासंगिक अंश स्व-सत्यापित करके प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात्—

(क) आधार कार्ड,

(ख) वैध भारतीय पासपोर्ट,

(ग) ई-राशन कार्ड,

(घ) केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य नियामक या वैधानिक निकाय द्वारा जारी किया गया सर्विस फोटो पहचान पत्र,

(ङ.) पेंशनभोगी फोटो पहचान पत्र या स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा किसी अन्य नियामक या वैधानिक निकाय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश,

(च) स्थायी खाता संख्या (पैन)।"

3. उक्त नियमों में से नियम 6 का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के नियम 11 में,—

(i) उप-नियम (1) में, —

(क) शब्दों "सात दिन" के स्थान पर "पंद्रह दिन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) शब्दों "सुरक्षित ड्राइविंग पर एक थ्रूटोरियल को पूरा करना होगा" के पश्चात् शब्द "जिसकी अवधि तीस मिनट से कम नहीं होगी" अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) में, "नियम 10 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "उप-नियम (1) में उल्लिखित ऐसे थ्रूटोरियल को पूरा करने से" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-नियम (4) में, शब्दों और अंकों "60 प्रतिशत" के स्थान पर "75 प्रतिशत" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iv) उप-नियम (5) में खंड (ग) और (घ) का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 14 में,—

(i) उप-नियम (1) में, शब्द और अंक “प्रपत्र 4” के स्थान पर शब्द और अंक “प्रपत्र 2” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) में,—

(क) खंड (ग) और (घ) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ड.) में, शब्दों “के वैध प्रमाण” के पूर्व शब्द “भारतीय” अंतःस्थापित किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 16 में,—

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“(1) लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी या नवीनीकृत प्रत्येक ड्राइविंग लाइसेंस, प्रपत्र 7 में लैमिनेटेड या पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) कार्ड के रूप में होगा और प्रपत्र में भारतीय नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों के लिए जारी या नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग-अलग प्रारूप होंगे, जो अनुलग्नक XI में निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।”

(ii) उप-नियम (6) का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“16क. ड्राइविंग लाइसेंस में विवरण में परिवर्तन —

(1) ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज विवरणों में परिवर्तन दर्ज करने के लिए ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस धारक द्वारा प्रपत्र 2क में आवेदन पोर्टल पर किया जाएगा, जिसके साथ सही विवरणों का वैध प्रमाण भी संलग्न होगा।

(2) उप-नियम (1) में प्रस्तुत किए गए आवेदन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट ई-हस्ताक्षर के माध्यम से आवेदक की पहचान सत्यापित करने के बाद प्रमाणित किया जा सकता है या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन के किसी अन्य तरीके से सत्यापित किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, लाइसेंसिंग प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस में विवरणों में परिवर्तन को मंजूरी देगा या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ उसे अस्वीकृत करेगा, जिसकी सूचना आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित दी जाएगी।

बशर्ते कि यदि पते में परिवर्तन के लिए उप-नियम (1) के तहत कोई आवेदन तीस दिनों की अवधि के भीतर न तो स्वीकार किया जाता है और न ही अस्वीकार किया जाता है, तो आवेदन स्वीकृत माना जाएगा।

8. उक्त नियमों में, नियम 17क में,—

(i) उप-नियम (1) में, “आवेदक द्वारा धारित ड्राइविंग लाइसेंस” शब्दों के पश्चात् “और नियम 32 में निर्दिष्ट उचित शुल्क” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“(2) उप-नियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, जिस श्रेणी या श्रेणियों के लिए आवेदन किया गया है, वह मोटर वाहन आवेदक के ड्राइविंग लाइसेंस से स्वतः ही हटा दिया जाएगा।”

(iii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

(4) कोई भी व्यक्ति जो ड्राइविंग लाइसेंस से किसी श्रेणी या श्रेणियों को स्थायी रूप से अभ्यर्पित (सरेंडर) कर देता है, वह सरेंडर की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उस श्रेणी या श्रेणियों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (लर्नर लाइसेंस) या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

9. उक्त नियमों में, नियम 32 में,—

(i) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“बशर्ते, यदि कोई सेवा ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्राप्त की जाती है, तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।”

(ii) तालिका में, क्र.सं. 13 पर,—

(क) स्तंभ (2) में, “ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज पते या किसी अन्य विवरण जैसे पता आदि में परिवर्तन” शब्दों के स्थान पर, “ड्राइविंग लाइसेंस धारक के नाम या किसी अन्य विवरण में परिवर्तन जो ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज है” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) स्तंभ (3) में, “दो सौ रुपये” शब्दों के स्थान पर, “कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) स्तंभ (4) में अंक, ऐक्सिसर और कोष्ठक “16क (1), 17क (1)” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) क्र.सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

क्रम संख्या	प्रयोजन	धनराशि	नियम	धारा
“13क	ड्राइविंग लाइसेंस में पते में परिवर्तन या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का अद्यतन।	कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा	16क”	

10. उक्त नियमों के नियम 81 में, क्र.सं. 7 में, स्तंभ (3) में, “क्र.सं. 4 के सामने उल्लिखित शुल्क का आधा। नोट: निवास स्थान परिवर्तन के लिए ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्रस्तुत करने में विलंब होने की स्थिति में, मोटर साइकिलों के मामले में प्रत्येक माह या उसके भाग के विलंब के लिए तीन सौ रुपये और अन्य वाहनों के मामले में प्रत्येक माह या उसके भाग के विलंब के लिए पांच सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा” शब्दों और अंकों के स्थान पर “कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त नियमों में, प्रपत्र 1क में,—

(i) शीर्ष में, कोष्ठक, शब्द और अंक “[नियम 5(1), (3), 7, 10(ए), 14(घ) और 18(घ) देखें]” के स्थान पर कोष्ठक, शब्द और अंक “[नियम 5(1), 5(3), 7, 10(ए), 14(घ) और 18(घ) देखें]” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) ऊपरी दाहिनी ओर, “पासपोर्ट आकार की तस्वीर (फोटो) के लिए स्थान” शब्दों के पश्चात्, कोष्ठक, शब्द और अंक “[ऑनलाइन आवेदन के लिए 1 एमबी से अधिक आकार की फोटो अपलोड न करें। चेहरा फ्रेम के 70% भाग में होना चाहिए। पर्याप्त रोशनी के साथ सादे श्वेत पृष्ठभूमि का उपयोग करें। डिजिटल रंगीन फोटो का रिज़ॉल्यूशन 900 x 1200 पिक्सल और 2250 x 3000 पिक्सल के बीच होना चाहिए।]” अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) क्रम संख्याओं 1, 1क, 1ख और 1ग के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

“

1.	क्या आवेदक मौजूदा लाइसेंस धारक है?	हां/नहीं
1क.	ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (क्रम संख्या 1 में जहां “हां” अंकित है, वहां भरें)	
1ख.	आधार कार्ड, उपलब्ध है या नहीं	हां/नहीं
1ग.	आवेदक का नाम	
1घ.	का पुत्र/पत्नी/पुत्री	
1ङ..	पता	
1च.	जन्म तिथि	

”.

(iv) प्रविष्टि (छ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“(छ) आवेदक का रक्त समूह (ब्लड ग्रुप) और आरएच कारक (फैक्टर);

(v) प्रविष्टि (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“टिप्पण:

1. जहां आवेदक ने क्र.सं. 1 में “हां” अंकित किया है और क्र.सं. 1क में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दिया है, वहां क्र.सं. 1ग, 1घ, 1ङ. और 1च में निर्दिष्ट विवरण सारथी पोर्टल से स्वतः प्राप्त कर लिए जाएंगे।

2. जहां आवेदक ने क्र.सं. 1 में “नहीं” अंकित किया है, वहां क्र.सं. 1ख, 1ग, 1घ और 1ङ. में निर्दिष्ट विवरण आवेदक द्वारा भरे जाएंगे।

3. इन नियमों में किसी बात के सिवाय, यदि कोई आवेदक आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, लेकिन उसके पास आधार संख्या नहीं है, तो ऐसे आवेदक के हस्ताक्षर किसी ऐसे गवाह द्वारा सत्यापित किए जाएंगे, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और जो आधार संख्या धारक हो और यह सत्यापन किसी चिकित्सक की उपस्थिति में किया जाएगा।

4. यदि कोई आवेदक क्र.सं. 1ख में “नहीं” का चयन करता है, तो आवेदक को निम्नलिखित स्क्रीन के नीचे की ओर (ड्रॉप-डाउन) संदेश दिया जाएगा:

“आपके हस्ताक्षर, ड्राइविंग लाइसेंस धारक और आधार नंबर धारक गवाह द्वारा चिकित्सक की उपस्थिति में सत्यापित किए जाएंगे।”

(vi) चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र शीर्ष में, “अनुकूलित (एडेप्टेड) वाहन के अलावा किसी अन्य वाहन को चलाने के लिए” शब्दों के पश्चात्, “आवेदक निम्नलिखित कारणों से लाइसेंस रखने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है:-” शब्दों और विराम चिह्नों का लोप किया जाएगा;

(vii) प्रविष्टि “अभ्यर्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान” के स्थान पर प्रविष्टि “अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) “अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर” शब्दों और विराम चिह्नों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द और विराम चिह्न अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

“यदि अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किसी गवाह द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।”

गवाह का नाम: _____

गवाह का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर: _____

.....

(गवाह के हस्ताक्षर)

(ix) टिप्पण के क्र. सं. 2 में, “मूक व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर “बोलने और भाषा संबंधी ऐक्सिसमता वाले व्यक्ति लेकिन” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12. उक्त नियमों में, प्रपत्र 2 में,—

(i) शीर्ष में,—

(क) शब्दों और अंकों “[नियम 10, 14, 17 और 18 देखें]” के स्थान पर “[नियम 10 और 14 देखें]” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) “वाहन की नई श्रेणी को जोड़ने या ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण या डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने या पते या नाम विवरण में परिवर्तन” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) ऊपर दाहिनी ओर, “पासपोर्ट आकार की फोटो के लिए स्थान (ऑनलाइन आवेदन के लिए 50 केबी से अधिक आकार की फोटो अपलोड न करें)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “पासपोर्ट आकार की फोटो के लिए स्थान (ऑनलाइन आवेदन के लिए 1 एमबी से अधिक आकार की फोटो अपलोड न करें। चेहरा फ्रेम के 70% भाग में होना चाहिए। पर्याप्त रोशनी के साथ सादे श्वेत पृष्ठभूमि का उपयोग करें। डिजिटल रंगीन फोटो का रिज़ॉल्यूशन 900 x 1200 पिक्सल और 2250 x 3000 पिक्सल के बीच होना चाहिए।)” शब्द, अंक और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) “आवेदन की जाने वाली सेवाएं” शीर्ष वाली तालिका में,—

(क) “आवेदन की जाने वाली सेवाएं (जहां लागू हो, कृपया एक या एकाधिक सेवा के सामने सही का निशान लगाएं)” शीर्ष के स्थान पर “आवेदन की जाने वाली सेवाएं (जहां लागू हो, कृपया एक या एकाधिक सेवा का चयन करें)” शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) प्रथम और द्वितीय प्रविष्टि में, “नया” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) प्रथम और द्वितीय प्रविष्टि के पश्चात्, सभी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iv) क्र.सं. 1 में,—

(क) तालिका के शीर्ष में,—

(1) “नया” शब्द जहां कहीं भी आए, उसका लोप किया जाएगा;

(2) शब्द “ड्राइविंग लाइसेंस” के पश्चात्, शब्द और कोष्ठक “(कृपया चयन करें)” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) स्पष्टीकरण में, क्र.सं. 1, 2, 3, 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित क्र.सं. प्रतिस्थापित की जाएंगी:

स्पष्टीकरण :
1. गैर-परिवहन वाहन से अभिप्राय परिवहन वाहन के अलावा कोई अन्य वाहन से है;
2. परिवहन वाहन से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2(47) के अंतर्गत परिभाषित वाहन से है;
3. हल्का मोटर वाहन से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2(21) के अंतर्गत परिभाषित वाहन से है;
4. मध्यम माल वाहन से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2(23) के तहत परिभाषित वाहन से है;
5. भारी माल वाहन से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2(16) के तहत परिभाषित वाहन से है।

(v) क्र.सं. 2 के अंतर्गत दी गई तालिका में निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

“आधार कार्ड का विवरण		आधार संख्या	
कार्ड पर प्रदर्शित होने वाला नाम:			
रिकॉर्ड के लिए पूरा नाम, यदि पूरा नाम प्रदर्शित नाम से लंबा है:			
के द्वारा:			
जन्म तिथि:			
पहचान चिह्न:			
लिंग (सही का निशान लगाएं)		पुरुष महिला ट्रांसजेंडर अन्य	राष्ट्रीयता:
शैक्षणिक योग्यता			ब्लड ग्रुप (अनिवार्य)
ईमेल (वैकल्पिक)			मोबाइल नंबर (अनिवार्य);
आपातकालीन संपर्क व्यक्ति का नाम			
आपातकालीन संपर्क मोबाइल नंबर (अनिवार्य);			

(vi) क्र.सं. 3 के अंतर्गत दी गई तालिका का लोप किया जाएगा;

(vii) क्र.सं. 4 के अंतर्गत दी गई तालिका को क्र.सं. 3 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष और तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“3. पता (लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में प्रमाण संलग्न किया जाना है)

	वर्तमान पता (लाइसेंस पर मुद्रित किया जाएगा)
पिन कोड	
राज्य	
जिला	
उप-जिला	
ग्राम/कस्बा/शहर	
लैंडमार्क (स्थल चिन्ह)	
गली	
मकान सं./बिल्डिंग/फ्लैट सं.	

टिप्पण: उपर्युक्त तालिका में विवरण, जहां उपलब्ध हो, सारथी पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाएगा; अन्य मामलों में, इसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा

(viii) क्रम संख्या 5 में तालिका का लोप किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 6 में तालिका का लोप किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 7 को क्रम संख्या 4 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;

(xi) इस प्रकार पुनः क्रमांकित क्रम सं. 4 में,-

क. शीर्षक में, शब्द "और टिक" का लोप किया जाएगा;

ख. "घोषणा" शब्द के पश्चात्, शब्द और कोष्ठक "(अनिवार्य)" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xii) शारीरिक योग्यता के बारे में स्व-घोषणा शीर्षक के तहत,-

(क) शीर्षक में, "शारीरिक योग्यता के बारे में स्व-घोषणा" शब्दों के पश्चात्, शब्द और कोष्ठक "और चिकित्सीय स्थितियाँ [कृपया चुनें]" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रमांक (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

“(क) क्या आप दौरे की बीमारी या मिर्गी से पीड़ित हैं?”	हाँ/नहीं
(i) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान आपको कोई दौरा पड़ा था?	हाँ/नहीं
(ii) क्या आप वर्तमान में मिर्गी-रोधी दवा का सेवन कर रहे हैं?	हाँ/नहीं
(iii) क्या मिर्गी-रोधी दवा को घटाया/कम किया जा रहा है?	हाँ/नहीं”,

(ग) क्रमांक (ड) में, शब्दों, कोष्ठकों और विराम चिह्न "क्या आप इतने बधिर हैं कि आप सामान्य ध्वनि संकेत सुनने में असमर्थ हैं (और यदि आवेदन हल्के मोटर वाहन चालन के संबंध में है, तो श्रवण सहायक यंत्र के साथ या उसके बिना)?" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और विराम चिह्न "क्या आपके श्रवण में कोई बाधा है जो सामान्य ध्वनि संकेतों को सुनने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है (श्रवण सहायक यंत्र के उपयोग के साथ या उसके बिना), हल्के मोटर वाहन के लिए आवेदन के मामले में?" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम सं. (च) में,-

(1) "कोई अन्य बीमारी या अशक्तता", शब्दों के पश्चात "या चिकित्सीय स्थितियां" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(2) "जनता के लिए खतरे का स्रोत, यदि ऐसा है, विवरण दें", शब्दों के पश्चात "(इस जानकारी का उपयोग केवल सड़क दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में किया जाएगा।)" शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ड) क्रमांक (च) के पश्चात, निम्नलिखित पंक्तियाँ और कॉलम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्

“(छ) क्या आप दवाओं से होने वाले किसी एलर्जी प्रतिक्रिया से पीड़ित हैं, यदि हां, तो विवरण दें। (इस जानकारी का उपयोग केवल सड़क दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में किया जाएगा)	
(ज) यदि आपके शरीर में कोई चिकित्सकीय या शल्य-चिकित्सकीय प्रत्यारोपण है, तो उसका विवरण दें। (इस जानकारी का उपयोग केवल सड़क दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में किया जाएगा)	
(झ) कोई अन्य चिकित्सीय संबंधी विवरण जो आप उल्लेख करना चाहते हैं (यह जानकारी केवल सड़क दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उपयोग की जाएगी)	(कोई प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़ अपलोड किया जाना है)”

(च) प्रविष्टि "आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान", शब्द के स्थान पर प्रविष्टि "आवेदक के हस्ताक्षर" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(छ) टिप्पण के लिए, निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“टिप्पण: (1) कोई आवेदक जो प्रश्न (क) का उत्तर "हां" में देता है और इसके अलावा उप-प्रश्नों (क)(i), (क)(ii), या (क)(iii), का उत्तर भी "हां" में देता है, तो उसे लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने या नए वर्ग के वाहन को जोड़ने या ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण या डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए, जैसा भी मामला हो, चिकित्सकीय रूप से अक्षम माना जाएगा।

(2) कोई आवेदक जो प्रश्न (क), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में से किसी का भी उत्तर "हां" में देता है या प्रश्न (ख) का उत्तर "नहीं" में देता है, तो उसे अपने उत्तरों को पूर्ण विस्तार के साथ स्पष्ट करना होगा, और उसके संबंध में और अधिक जानकारी देने की आवश्यकता हो सकती है।”;

(xiii) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत प्रविष्टि घोषणा में, -

(क) शब्दों और विराम चिह्नों “.....के पुत्र/पुत्री.....” के लिए, शब्द और विराम चिह्न "आधार संख्या..... धारण करते हैं" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) "लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सहमति" शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

[टिप्पण: नाम और आधार संख्या के लिए प्रविष्टि फील्ड ऊपर क्रम सं. 2 में दी गई जानकारी से स्वतः भर जाएगा। आवेदक का व्यक्तिगत विवरण]

(ग) "माता-पिता/अभिभावक का नाम:" शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“माता-पिता/अभिभावक का ड्राइविंग लाइसेंस सं.:-”

(घ) "माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर" शब्दों और विराम चिह्नों के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्,

[टिप्पण: माता-पिता/अभिभावक का मोबाइल सं. का विवरण वाहन पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाएगा। आवेदक के साथ संबंध के लिए एक ड्रॉप-डाउन सूची प्रदान की जाएगी।]

(xiv) तालिका में केवल कार्यालय उपयोग के लिए प्रविष्टि के अंतर्गत,-

(क) क्रमांक 1 और 2 में पंक्तियाँ और कॉलम का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 3 को क्रम संख्या 1 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;

(ग) इस प्रकार पुनः क्रमांकित क्रम सं. 1 के कॉलम 1 में, "नियम 11 के उप-नियम (1)" शब्दों और अंकों के लिए, "नियम 11 के उप-नियम (3)" शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) इस प्रकार पुनः क्रमांकित क्रम सं. 1 के कॉलम 3 में, "उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित" शब्दों के पश्चात, शब्द और विराम चिह्न "/" छूट का लोप किया जाएगा;

(ङ) "लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर" शब्दों से पहले, शब्द और विराम चिह्न "ई-हस्ताक्षर/" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xv) अनुलग्नक प्रविष्टि में,-

(क) "पता और आयु का प्रमाण" शब्दों और विराम चिह्न के लिए, शब्द और विराम चिह्न "पता, पहचान और आयु का प्रमाण" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) शब्द और कोष्ठक "(यदि प्रमाण पता और आयु के लिए समान है, तो केवल एक का चयन करें)" का लोप किया जाएगा;

(ग) शीर्षक के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्,

“टिप्पणः

1. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 4 के अनुसार।

2. ऊपर उल्लिखित नियम 4 के तहत निर्दिष्ट दस्तावेजों का एक ड्रॉप-डाउन मेनू पोर्टल पर दिया जाएगा।

3. पोर्टल नियम 4 के तहत प्रस्तुत दस्तावेज के प्रासंगिक विवरणों को रिकॉर्ड करेगा, जिसमें जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम, जारी करने की तिथि और पहचान संख्या या अन्य विशिष्ट संख्या शामिल होगा।”;

(घ) क्रम संख्या 1 से 10 का लोप किया जाएगा;

(ङ) “संग्रह या अपलोड किए जाने वाले अन्य दस्तावेज, यदि लागू हो” शीर्षक के तहत, -

(1) क्रम संख्या 1 का लोप किया जाएगा;

(2) क्रम संख्या 2 और 3 को क्रमशः क्रम संख्या 1 और 2 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;

(3) इस प्रकार पुनः क्रमांकित क्रम सं. 1 में, शब्द "नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा रहा है और" का लोप किया जाएगा;

(4) इस प्रकार पुनः क्रमांकित क्रम सं. 2 में, निम्नलिखित क्रम सं. 3 अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,

“3. प्रपत्र 5ख में मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र द्वारा ड्राइविंग प्रमाण पत्र जारी किया गया”;

(5) क्रम संख्या 6, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 का लोप किया जाएगा।

13. उक्त नियमों में, प्रपत्र 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रपत्र अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

प्रपत्र 2क

[नियम 16क, 17, 18 और 18क का संदर्भ ग्रहण करें]

एक नए श्रेणी के वाहन के संयोजन या ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण या डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने या पते या नाम या अन्य विवरणों में परिवर्तन के लिए फॉर्म

सेवा में, लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकारी

सेवाएं जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है (कृपया एकल या बहु सेवा (सेवाओं), जहां भी लागू हो, का चयन करें)	
ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन की श्रेणी का संयोजन	
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण	
डुप्लिकेट लर्नर लाइसेंस	
डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस	
ड्राइविंग लाइसेंस में दिए गए पते में बदलाव/सुधार	(उल्लेख किए जाने वाले विवरण)
ड्राइविंग लाइसेंस में दिए गए नाम में बदलाव/सुधार	
चिकित्सा स्थितियों का अद्यतन सहित जानकारी में बदलाव	

1. वाहनों की श्रेणी (सीओवी): लाइसेंस में नए वाहन श्रेणी के संयोजन के लिए लागू (कृपया चयन करें)

बिना गियर वाली मोटर साइकिल (एमसीडब्ल्यूओजी)	
गियर वाली मोटर साइकिल (एमसीडब्ल्यूजी)	
हल्के मोटर वाहन	
अनुकूलित वाहन (दिव्यांगजनों द्वारा उपयोग के लिए वाहन)	
परिवहन वाहन के रूप में मध्यम या भारी माल-वाहक या यात्री वाहन	
ई-रिक्शा	
ई-कार्ट	
अन्य: जो उपरोक्त किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं है, जिसमें हार्वेस्टर, उत्खनक, फोर्क लिफ्ट, ट्रेलर, क्रेन माउंटेड वाहन, कृषि ट्रैक्टर और पावर टिलर, टो ट्रक, ब्रेकडाउन वैन और रिकवरी वाहन, निर्माण उपकरण वाहन शामिल हैं।	

2. नाम: लाइसेंस धारक के नाम में परिवर्तन के मामले में लागू

नाम, जो कार्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा:
रिकॉर्ड के लिए पूरा नाम, जहां पूरा नाम प्रदर्शित किए गए नाम से लंबा है:

3. पता: पता परिवर्तन के मामले में लागू (प्रमाण संलग्न किया जाना है)

	नया पता
पिन कोड	
राज्य	
जिला	
उप-जिला	
ग्राम/कस्बा/शहर	
लैंडमार्क (स्थल चिन्ह)	
गली	
मकान सं./बिल्डिंग/फ्लैट सं.	

टिप्पण: उपर्युक्त तालिका में विवरण, जहां उपलब्ध हो, सारथी पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाएगा; अन्य मामलों में, यह आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

4. परिवहन श्रेणी में वाहन की एक श्रेणी को जोड़ने के अनुरोध के मामले में, कृपया निम्नलिखित भरें:

डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र संख्या			
डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र का नाम			
डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र में नामांकन संख्या			
डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र में नामांकन की तिथि			
डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या			
डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र की तिथि			
डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण अवधि	तिथि से		तिथि तक

टिप्पण: उपर्युक्त तालिका में विवरण, जहां उपलब्ध हो, सारथी पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाएगा; अन्य मामलों में, यह आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

5. मौजूदा लाइसेंस का विवरण

लाइसेंस सं.			
वाहन(वाहनों) की श्रेणी			
लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकरण का नाम			
वैधता अवधि	तिथि से		तिथि तक

टिप्पण: उपर्युक्त तालिका में विवरण, जहां उपलब्ध हो, सारथी पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाएगा; अन्य मामलों में, यह आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

6. संलग्न दस्तावेजों की सूची (कृपया संलग्न अनुलग्नक देखें और सही का निशान लगाएं)**श्रेणी को जोड़ने के लिए शारीरिक योग्यता और चिकित्सा स्थितियों के बारे में स्व-घोषणा [कृपया चयन करें]**

(क) क्या आप दौरे की बीमारी या मिर्गी से पीड़ित हैं?	हाँ/नहीं
(i) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान आपको कोई दौरा पड़ा था?	हाँ/नहीं
(ii) क्या आप वर्तमान में मिर्गी-रोधी दवा का सेवन कर रहे हैं?	हाँ/नहीं
(iii) क्या मिर्गी-रोधी दवा को घटाया/कम किया जा रहा है?	हाँ/नहीं
(ख) क्या आप प्रत्येक आँख से (या यदि आपके पास पांच वर्ष से कम अवधि के लिए मोटर वाहन चलाने का डाइविंग लाइसेंस है और यदि आपने उक्त पांच वर्ष की अवधि के बाद एक आँख की दृष्टि खो दी है और यदि आवेदन एक हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए है जो परिवहन वाहन से अलग है और जिसमें स्टीयरिंग व्हील की ओर एक बाहरी दर्पण लगा हो) या एक आँख से, अच्छे दिन के उजाले में 25 मीटर की दूरी पर (चश्मे के साथ, यदि पहना हो) एक मोटर कार नंबर प्लेट पहचान सकते हैं?	हाँ/नहीं
(ग) क्या आपने अपने हाथ या पैर में से कोई भी खो दिया है या आप किसी भी हाथ या पैर की मांसपेशियों की शक्ति में किसी दोष से पीड़ित हैं??	हाँ/नहीं
(घ) क्या आप रतौंधी से पीड़ित हैं? ?	हाँ/नहीं
(ङ) हल्के मोटर वाहन के लिए आवेदन के मामले में, क्या आप किसी श्रवण दोष से पीड़ित हैं जो सामान्य ध्वनि संकेतों को सुनने की आपकी क्षमता (श्रवण सहायता के उपयोग के साथ या उसके बिना) को प्रभावित कर सकती है?	हाँ/नहीं
(च) क्या आप किसी अन्य बीमारी या अक्षमता या चिकित्सा स्थितियों से पीड़ित हैं जो आपके मोटर वाहन चलाने के कारण जनता के लिए खतरे का कारण बन सकती हैं, यदि हां, तो विवरण दें। (इस जानकारी का उपयोग केवल सड़क दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में किया जाएगा।)	हाँ/नहीं
(छ) क्या आप दवाओं से होने वाले किसी एलर्जी प्रतिक्रिया से पीड़ित हैं, यदि हां, तो विवरण दें। (इस जानकारी का उपयोग केवल सड़क दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में किया जाएगा)	
(ज) यदि आपके शरीर में कोई चिकित्सकीय या शल्य-चिकित्सकीय प्रत्यारोपण है, तो उसका विवरण दें। (इस जानकारी का उपयोग केवल सड़क दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में किया जाएगा)	
(झ) कोई अन्य चिकित्सीय संबंधी विवरण जो आप उल्लेख करना चाहते हैं (यह जानकारी केवल सड़क दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उपयोग की जाएगी)	(अपलोड किया जाने वाला कोई भी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज़)

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, ऊपर दिए गए विवरण और उसमें की गई घोषणा सत्य है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

टिप्पण: (1) कोई आवेदक जो प्रश्न (क) का उत्तर "हां" में देता है और इसके अलावा उप-प्रश्नों (क)(i), (क)(ii), या (क)(iii), का उत्तर भी "हां" में देता है, तो उसे लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने या नए श्रेणी के वाहन को जोड़ने या ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण या डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए, जैसा भी मामला हो, चिकित्सकीय रूप से अक्षम माना जाएगा।

(2) कोई आवेदक जो प्रश्न (क), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में से किसी का भी उत्तर "हां" में देता है या प्रश्न (ख) का उत्तर "नहीं" में देता है, तो उसे अपने उत्तरों को पूर्ण विस्तार के साथ स्पष्ट करना होगा, और उसके संबंध में और अधिक जानकारी देने की आवश्यकता हो सकती है।

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

1. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 11 के उप-नियम (3) के अनुसार यातायात संकेत, यातायात सिगनल, दुर्घटना में शामिल होने पर वाहन ड्राइवर के कर्तव्यों, या ड्राइविंग करते समय साथ रखने वाले दस्तावेजों आदि के मामलों के पर्याप्त ज्ञान और समझ की जांच के लिए प्रारंभिक परीक्षण	परीक्षण की तिथि	परिणाम	परीक्षण प्राधिकारी
		उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित	
ड्राइविंग परीक्षण (केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का नियम 15)	परीक्षण की तिथि	परिणाम उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण	

लर्नर लाइसेंस/ड्राइविंग लाइसेंस :	जारी किया गया:	अस्वीकृत किया गया:
	लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकारी (या इस संबंध में प्राधिकृत अन्य व्यक्ति) का ई-हस्ताक्षर/हस्ताक्षर	

अनुलग्नक

आवेदक द्वारा प्रस्तुत या अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

पता, पहचान और आयु का प्रमाण।

टिप्पण: 1. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 4 के अनुसार।

2. पोर्टल पर उपरोक्त नियम 4 के अंतर्गत निर्दिष्ट दस्तावेजों का एक ड्रॉप-डाउन मेनू उपलब्ध कराया जाएगा।

3. पोर्टल नियम 4 के तहत प्रस्तुत दस्तावेज़ के प्रासंगिक विवरण, जिसमें जारीकर्ता प्राधिकरण का नाम, जारी करने की तिथि और पहचान संख्या या अन्य विशिष्ट संख्या शामिल है, को रिकॉर्ड करेगा।

संलग्न या अपलोड किए जाने वाले अन्य दस्तावेज़, यदि लागू हों

1. प्रपत्र-1ए में चिकित्सा प्रमाण पत्र (यह प्रमाण पत्र आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक होने या परिवहन लाइसेंस के लिए आवेदन करने की स्थिति में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है)
2. ड्राइविंग स्कूल या संस्थानों द्वारा जारी ड्राइविंग प्रमाणपत्र (प्रपत्र 5 में)
3. मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग प्रमाणपत्र (प्रपत्र 5वीं में)
4. यदि आवेदक नाबालिग है तो माता-पिता या अभिभावक की घोषणा
5. फोटोग्राफ़
6. विदेशी नागरिकों के मामले में आवास प्रमाण के अतिरिक्त भारत में कानूनी उपस्थिति का प्रमाण।
7. अन्य दस्तावेज़, यदि कोई हों
8. पुलिस शिकायत की प्रति (ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने, विकृत हो जाने, विकृत हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में)

14. उक्त नियमों में, प्रपत्र 3 में,—

- (i) “तिथि” शब्द के पश्चात्, “जारी करने की तिथि” शब्द अंतःस्थापित जाएंगे;
- (ii) ऊपरी दाहिनी ओर, “फोटो पर लिखा जाने वाला नाम, लाइसेंस धारक के नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान, लाइसेंसिंग प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे: “[ऑनलाइन आवेदन के लिए फोटो की आकार 1 एमबी से अधिक नहीं हो, को चेहरा फ्रेम का 70% भाग में होना चाहिए। पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ सादे श्वेत पृष्ठभूमि का उपयोग करें। डिजिटल रंगीन फोटो का रिज़ॉल्यूशन 900 x 1200 पिक्सल और 2250 x 3000 पिक्सल के बीच होना चाहिए।]”
- (iii) क्रमांक 2 में, “पुत्र/पत्नी/पुत्री” शब्दों के स्थान पर “द्वारा” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रमांक 4 में, “वैकल्पिक ----- रक्त समूह आरएच कारक” शब्दों और विराम चिह्न के स्थान पर “रक्त समूह और आरएच कारक” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (v) क्रमांक 5 में, “वर्तमान/स्थायी पता अस्थायी/आधिकारिक (यदि कोई हो)” शब्दों के स्थान पर “वर्तमान पता” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vi) क्रमांक 5 के बाद निम्नलिखित क्रमांक अंतःस्थापित किया जाएंगे, अर्थात्—

“6. मोबाइल नंबर:”

7. आपातकालीन संपर्क मोबाइल नंबर...”
- (vii) क्रमांक 6 को क्रमांक 8 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;
- (viii) क्रमांक 8 के पुनः क्रमांकित होने के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“9. अंग दाता (हाँ/नहीं);”

- (ix) “लाइसेंस धारक ने नियम 5 और उसके अंतर्गत चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है” शब्दों के पश्चात्, “प्रारंभिक” शब्द का लोप किया जाएगा;
- (x) “नियम में संदर्भित परीक्षण” शब्दों के पश्चात्, अंक और कोष्ठक “11(1)” के स्थान पर, अंक और कोष्ठक “11(3)” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (xi) “केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989” शब्दों के पश्चात्, “लाइसेंस धारक को नियम 6 के तहत चिकित्सा परीक्षण और केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 11(23) के तहत प्रारंभिक परीक्षण से छूट दी गई है” शब्द लोप कर दिए जाएंगे;
- (xii) “यह लाइसेंस वैध है” शब्दों के पश्चात्, “जारी करने की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए” शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे;
- (xiii) “जारी करने की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए” शब्दों के पश्चात्, “से.....से.....* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।” शब्द लोप कर दिए जाएंगे;
- (xiv) चेतावनी के बाद, निम्नलिखित टिप्पणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

“टिप्पण: यदि लर्नर लाइसेंस में आवेदक के विवरण, जिसमें जन्म तिथि भी शामिल है, में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उस लर्नर लाइसेंस का धारक, धारा 9 की उपधारा (1) के तहत ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करने से पहले, लाइसेंसिंग प्राधिकरण को आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ विसंगतियों को दूर करने के लिए लिखित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।”

15. उक्त नियमों में, प्रपत्र 4ए में,—

- (i) ऊपरी दाहिनी ओर, “पासपोर्ट आकार की तस्वीर के लिए स्थान” शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द और अंक जोड़े जाएंगे: “ऑनलाइन आवेदन के लिए फोटो की आकार 1 एमबी से अधिक नहीं हो, को अपलोड करें। चेहरे को फ्रेम का 70% भाग में होना चाहिए। पर्याप्त रोशनी के साथ सादे श्वेत पृष्ठभूमि का उपयोग करें। डिजिटल रंगीन तस्वीरों का रिज़ॉल्यूशन 900 x 1200 पिक्सल और 2250 x 3000 पिक्सल के बीच होना चाहिए।”
- (ii) क्रमांक 1 के बाद क्रमांक 2, 3 और 4 लोप कर दिए जाएंगे, और उनके स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—
- “1ए. वैध भारतीय पासपोर्ट संख्या
2. ड्राइविंग लाइसेंस नंबर
3. ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति तिथि
4. (क) पता
- (ख) मोबाइल
- (ग) ईमेल आईडी (वैकल्पिक)
- (iii) क्रमांक 5 में, “जन्म तिथि” शब्दों के पश्चात्, “(प्रमाण संलग्न किया जाना है)” शब्द और कोष्ठक विलोप कर दिए जाएंगे;
- (iv) क्रमांक 12, 13, 14 और 16 का विलोप किया जाएगा;
- (v) क्रमांक 15 को क्रमांक 12 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;

(vi) क्रमांक 12 के पुनः क्रमांकित होने के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“टिप्पण: क्रमांक 2 में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर प्रदान करने पर, क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में दी गई जानकारी सारथी (SARATHI) पोर्टल से स्वतः प्राप्त हो जाएगी।”

(vii) “आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान” शब्दों के स्थान पर “आवेदक के हस्ताक्षर” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

16. उक्त नियमों में, प्रपत्र 7 में,—

(i) शीर्षक में, “(चिप रहित लैमिनेटेड कार्ड या स्मार्ट कार्ड)” शब्द विलोप कर दिए जाएंगे;

(ii) प्रविष्टि क से पहले, शब्द और अंक “I. भारतीय नागरिकों के लिए” अंतः स्थापित किए जाएंगे;

(iii) प्रविष्टि क के अंतर्गत, तस्वीर को निम्नलिखित तस्वीर से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

Indian Union Driving License
Issued by Transport Department XXXX

DL NO. : XXXXXXXXXXXXXXXX

Issue Date DD-MM-YYYY Validity (NT) DD-MM-YYYY Validity (TR)# DD-MM-YYYY

Name XXXXXXXXXXXXXXXX

Nationality Indian

Date of Birth XX-XX-XXXX Blood Group XXXX Organ Donor XXXX

Address XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Emergency Contact Number +XX-XXXXXXXXXXXX Mobile Number +XX-XXXXXXXXXXXX

Date of First Issue (DD-MM-YYYY)

(iv) प्रविष्टि ख के अंतर्गत, तस्वीर को निम्नलिखित तस्वीर से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

DL NO : XXX XXXXXXXXXXXXXXX

Adapted Vehicle (Regn. Numbers) XXXXXXXXXXXXXXXX

Hazardous Validity DD-MM-YYYY Hill Validity DD-MM-YYYY

QR Code

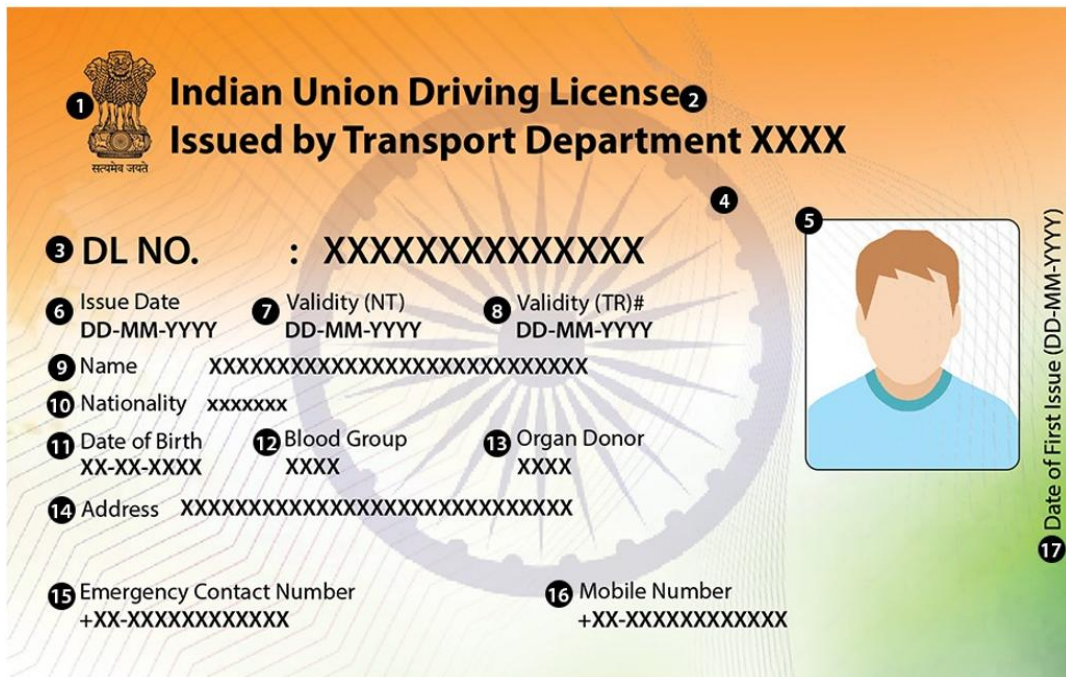
Class of Vehicle	Issued by	Date of Issue	Vehicle Type	Badge Number	Badge Issued Date	Badge Issued by
- MCWG	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
- LMV	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
- TRANS	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
CNEQP - MVSD	XXX	XX-XX-XXXX	XX			

Licensing Authority XXXXX XXXX

Form 7 Rule 16 (2)

(v) क्रमांक 1 में,—

(क) “क. अग्रभाग के लिए:” के अंतर्गत दी गई तस्वीर के स्थान पर निम्नलिखित तस्वीर प्रतिस्थापित की जाएगी:



1  **Indian Union Driving License** **2**
Issued by Transport Department XXXX

3 DL NO. : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

6 Issue Date DD-MM-YYYY **7** Validity (NT) DD-MM-YYYY **8** Validity (TR)# DD-MM-YYYY

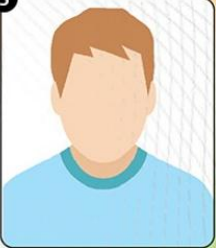
9 Name XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10 Nationality xxxxxxxx

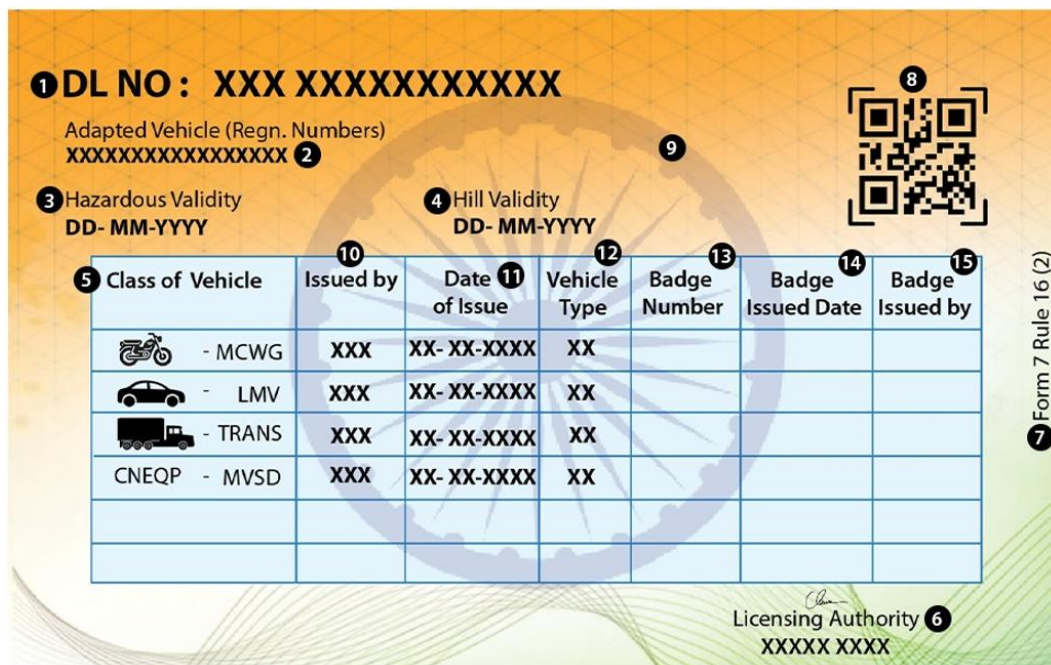
11 Date of Birth XX-XX-XXXX **12** Blood Group XXXX **13** Organ Donor XXXX

14 Address XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15 Emergency Contact Number +XX-XXXXXXXXXXXX **16** Mobile Number +XX-XXXXXXXXXXXX

5  **17** Date of First Issue (DD-MM-YYYY)

(ख) “ख. पृष्ठ के पीछे के भाग के लिए” के अंतर्गत दी गई तस्वीर के स्थान पर निम्नलिखित तस्वीर प्रतिस्थापित की जाएगी:



1 DL NO : **XXX XXXXXXXXXXXXX**

Adapted Vehicle (Regn. Numbers) XXXXXXXXXXXXXXXX **2**

3 Hazardous Validity DD- MM-YYYY **4** Hill Validity DD- MM-YYYY

8 

5 Class of Vehicle	10 Issued by	11 Date of Issue	12 Vehicle Type	13 Badge Number	14 Badge Issued Date	15 Badge Issued by
 - MCWG	XXX	XX- XX-XXXX	XX			
 - LMV	XXX	XX- XX-XXXX	XX			
 - TRANS	XXX	XX- XX-XXXX	XX			
CNEQP - MVSD	XXX	XX- XX-XXXX	XX			

7 Form 7 Rule 16 (2)

6 Licensing Authority XXXXX XXXX

(vi) “ख. पृष्ठ के भाग के लिए” के अंतर्गत प्रविष्ट तस्वीर के बाद, निम्नलिखित शब्द और चित्र अंतःस्थापित किए जाएंगे:

“II. विदेशी नागरिकों के लिए

क. कार्ड के अग्रभाग पर निम्नलिखित डेटा फ़ील्ड दृश्य रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे-

 **Indian Union Driving License**
Issued by Transport Department XXXX

DL NO. : XXXXXXXXXXXXXXXX

Issue Date DD-MM-YYYY Validity (NT) DD-MM-YYYY Validity (TR)# DD-MM-YYYY

Name XXXXXXXXXXXXXXXX

Nationality XXXXX

Date of Birth XX-XX-XXXX Blood Group XXXX Organ Donor XXXX

Address XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Emergency Contact Number +XX-XXXXXXXXXXXX Mobile Number +XX-XXXXXXXXXXXX



Date of First Issue (DD-MM-YYYY)

ख. कार्ड के रिवर्स साइड (पृष्ठ भाग) की ओर के डिज़ाइन में निम्नलिखित डेटा फ़ील्ड दृश्य रूप में शामिल होंगे-

DL NO : XXXXXXXXXXXXXXXX

Adapted Vehicle (Regn. Numbers) XXXXXXXXXXXXXXXX

Hazardous Validity DD-MM-YYYY Hill Validity DD-MM-YYYY



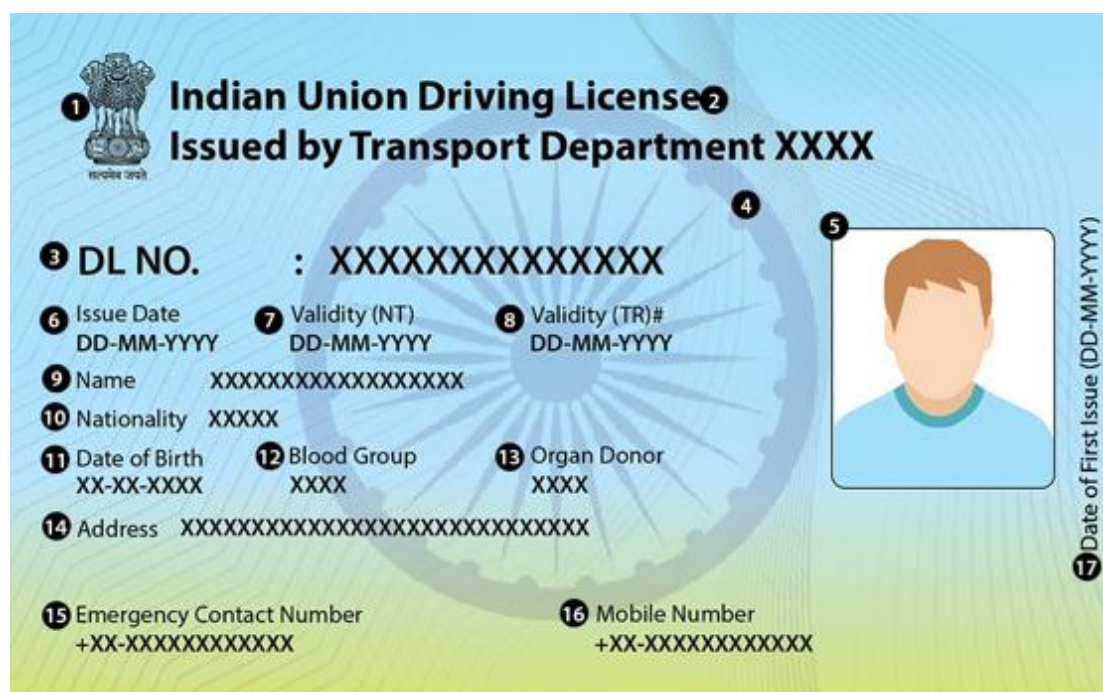
Class of Vehicle	Issued by	Date of Issue	Vehicle Type	Badge Number	Badge Issued Date	Badge Issued by
 - MCWG	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
 - LMV	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
 - TRANS	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
CNEQP - MVSD	XXX	XX-XX-XXXX	XX			

Licensing Authority XXXXXXXX

Form 7 Rule 16 (2)

1. कार्ड पर दी गई विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित होगा, अर्थात्-

क. फ्रंट साइड (अग्रभाग) के लिए:



1  **Indian Union Driving License** **2**
Issued by Transport Department XXXX

3 DL NO. : XXXXXXXXXXXXXXXX **4**

5  **6** Issue Date DD-MM-YYYY **7** Validity (NT) DD-MM-YYYY **8** Validity (TR)# DD-MM-YYYY

9 Name XXXXXXXXXXXXXXXX

10 Nationality XXXXX

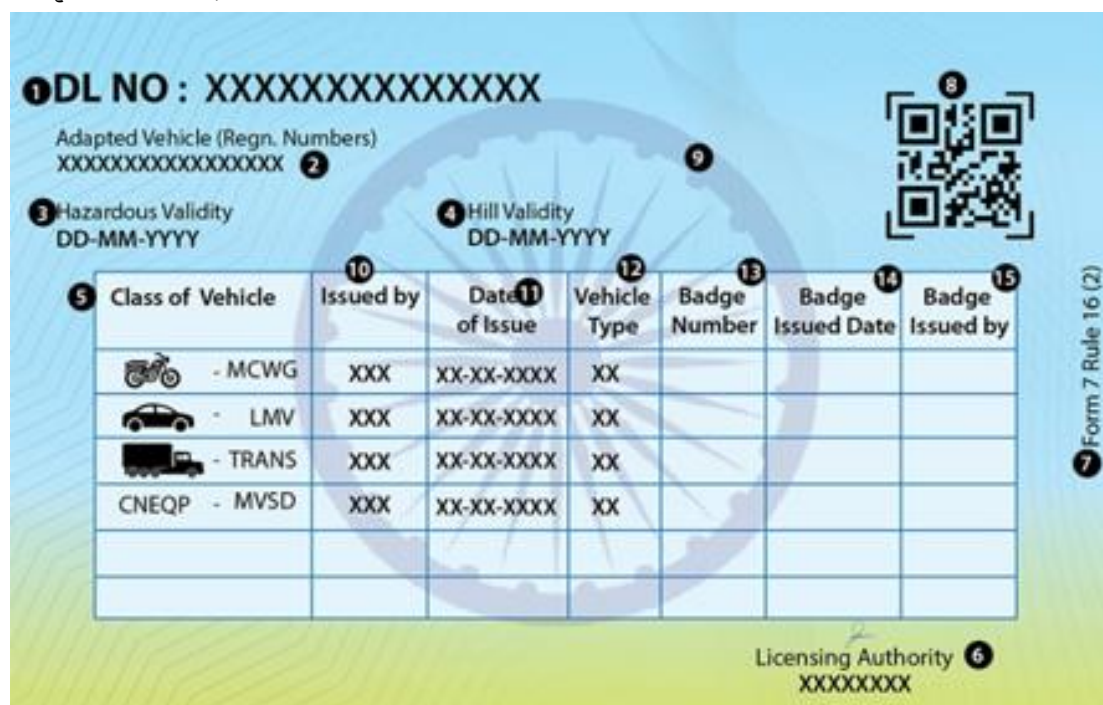
11 Date of Birth XX-XX-XXXX **12** Blood Group XXXX **13** Organ Donor XXXX

14 Address XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15 Emergency Contact Number +XX-XXXXXXXXXXXX **16** Mobile Number +XX-XXXXXXXXXXXX

17 Date of First Issue (DD-MM-YYYY)

ख. पृष्ठ भाग के लिए



1 DL NO : XXXXXXXXXXXXXXXX

Adapted Vehicle (Regn. Numbers) XXXXXXXXXXXXXXXX **2**

3 Hazardous Validity DD-MM-YYYY **4** Hill Validity DD-MM-YYYY

5  **8**

5 Class of Vehicle	10 Issued by	11 Date of Issue	12 Vehicle Type	13 Badge Number	14 Badge Issued Date	15 Badge Issued by
 - MCWG	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
 - LMV	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
 - TRANS	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
CNEQP - MVSD	XXX	XX-XX-XXXX	XX			

6 Licensing Authority XXXXXXXX

7 Form 7 Rule 16 (2)

...";

(vii) क्रमांक 2 में तालिकाओं के स्थान पर निम्नलिखित तालिकाएँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्—

“2. विशिष्टताएं -

(क) फ्रॉन्ट शैली और आकार संबंधी विनिर्देश (भारतीय नागरिकों के लिए)							
अग्रभाग				पृष्ठभाग			
क्र. सं.	विशेषताएँ	फ्रॉन्ट नाम	आकार	क्र. सं.	विशेषताएँ	फ्रॉन्ट नाम	आकार
1.	राष्ट्रीय प्रतीक	प्रतीक	6.4 चौड़ाई (डब्ल्यू) X 8.7 ऊंचाई (एच)	1.	ड्राइविंग लाइसेंस नंबर	मायरीड प्रो (बोल्ड)	9 प्वाइंट
2.	कार्ड हेडर	मायरीड प्रो (बोल्ड)	9.08 प्वाइंट	2.	अनुकूलितवाहन (पंजीकरण संख्या)	मायरीड प्रो	5.3 प्वाइंट
3.	ड्राइविंग लाइसेंस नंबर	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	9 प्वाइंट	3.	जोखिम वाला वैधता#	मायरीड प्रो	5.3 प्वाइंट
4.	अशोक चक्र	प्रतीक	35(डब्ल्यू) X 35.1(एच)	4.	पहाड़ी इलाके के लिए वैधता#	मायरीड प्रो	5.3 प्वाइंट
5.	फोटो	लागू नहीं	17.6(डब्ल्यू) X 20.5(एच)	5.	वाहन वर्ग	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
6.	जारी करने की तिथि	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	6.	लाइसेंसिंग प्राधिकरण	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
7.	वैधता (एनटी)	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	7.	प्रपत्र 7 नियम 16(2)	मायरीड प्रो	5.3 प्वाइंट
8.	वैधता (टीआर)#	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	8.	क्यू आर संहिता	प्रतीक	11.3(डब्ल्यू) X 11.3(एच)
9.	नाम	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	9.	अशोक चक्र	प्रतीक	35(डब्ल्यू) X 35.1(एच)
10.	राष्ट्रीयता	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	10.	जारीकर्ता	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
11.	जन्म तिथि	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	11.	जारी करने की तिथि	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
12.	रक्त समूह	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	12.	वाहन का प्रकार	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट

13.	अंग दान करने वाला	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	13.	बैज संख्या	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
14.	पता	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	14.	बैज जारी दिनांक	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
15.	आपातकालीन संपर्क नंबर	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	15.	बैज जारीकर्ता	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
16.	मोबाइल नंबर	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट				
17.	पहली बार जारी करने की तिथि	मायरीड प्रो	5.3 प्वाइंट				

(ख) फ्रॉन्ट शैली और आकार संबंधी विनिर्देश (विदेशी नागरिकों के लिए)							
अग्रभाग				पृष्ठ भाग			
क्र. सं.	विशेषताएँ	फ्रॉन्ट नाम	आकार	क्र. सं.	विशेषताएँ	फ्रॉन्ट नाम	आकार
1.	राष्ट्रीय प्रतीक	प्रतीक	6.4(डब्ल्यू) X 8.7(एच)	1.	ड्राइविंग लाइसेंस नंबर	मायरीड प्रो (बोल्ड)	9 प्वाइंट
2.	कार्ड हेडर	मायरीड प्रो (बोल्ड)	9.08 प्वाइंट	2.	अनुकूलित वाहन (पंजीकरण संख्या)	मायरीड प्रो	5.3 प्वाइंट
3.	ड्राइविंग लाइसेंस नंबर	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	9 प्वाइंट	3.	जोखिम वाला वैधता#	मायरीड प्रो	5.3 प्वाइंट
4.	अशोक चक्र	प्रतीक	35(डब्ल्यू) X 35.1(एच)	4.	पहाड़ी इलाके की वैधता#	मायरीड प्रो	5.3 प्वाइंट
5.	फोटो	लागू नहीं	17.6(डब्ल्यू) X 20.5(एच)	5.	वाहन वर्ग	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
6.	जारी करने की तिथि	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	6.	लाइसेंसिंग प्राधिकरण	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
7.	वैधता (एनटी)	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	7.	प्रपत्र 7 नियम 16(2)	मायरीड प्रो	5.3 प्वाइंट

8.	वैधता (टीआर)#	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	8.	क्यू आर संहिता	प्रतीक	11.3(डब्ल्यू) X 11.3(एच)
9.	नाम	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	9.	अशोक चक्र	प्रतीक	35(डब्ल्यू) X 35.1(एच)
10.	राष्ट्रीयता	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	10.	जारीकर्ता	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
11.	जन्म तिथि	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	11.	जारी करने की तिथि	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
12.	रक्त समूह	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	12.	वाहन का प्रकार	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
13.	अंग दान करने वाला	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	13.	बैज संख्या	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
14.	पता	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	14.	बैज जारी दिनांक	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
15.	आपातकालीन संपर्क नंबर	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट	15.	बैज जारीकर्ता	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट
16.	मोबाइल नंबर	मायरीड प्रो (सेमी बोल्ड)	5.3 प्वाइंट				
17.	पहली बार जारी करने की तिथि	मायरीड प्रो	5.3 प्वाइंट				

(ग) पृष्ठभूमि रंग संबंधी विवरण (भारतीय नागरिकों को जारी किए गए लाइसेंस के लिए)					
अग्रभाग			पृष्ठ भाग		
क्र. सं.	हेक्स कोड	प्रिंट रंग	क्र. सं.	हेक्स कोड	प्रिंट रंग
1.	#F2A81D	सी:0 एम:31 वाई:88 के:5	सी1.	#F2A81D	सी:0 एम:31 वाई:88 के:5
2.	#F7E2B0	C:0 M:9 Y:29 K:3	सी2.	#F7E2B0	C:0 M:9 Y:29 K:3
3.	#D8F0C8	सी:10 एम:0 वाई:17 के6	सी3.	#D8F0C8	सी:10 एम:0 वाई:17 के6
4.	#FFFFFF	C0: M:0 Y:0 K:0	सी4.	#FFFFFF	C0: M:0 Y:0 K:0

(घ) पृष्ठभूमि रंग संबंधी विवरण (विदेशी नागरिकों को जारी किए गए लाइसेंस के लिए)					
अग्रभाग			पृष्ठ भाग		
क्र. सं.	हेक्स कोड	प्रिंट रंग	क्र. सं.	हेक्स कोड	प्रिंट रंग
1.	#9DD9F4	C:36 M:11 Y:0 K:4	1.	#9DD9F4	C:36 M:11 Y:0 K:4
2.	#C0E4DF	C:16 M:0 Y:2 K:11	2.	#C0E4DF	C:16 M:0 Y:2 K:11
3.	#CFE39C	C:9 M:0 Y:31 K:11	3.	#CFE39C	C:9 M:0 Y:31 K:11
4.	#D5E37C	C:6 M:0 Y:45 K:11	4.	#D5E37C	C:6 M:0 Y:45 K:11

(viii) मशीन पठनीय जोन शीर्षक के अंतर्गत,—

(क) जहां कहीं भी “मशीन पठनीय” शब्द आते हैं, उनके स्थान पर “क्यूआर कोड पठनीय” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) “संबंधित राज्य सरकारें” शब्दों से पहले, “(केवल स्मार्ट कार्ड का विकल्प चुनने पर लागू)” शब्द और कोष्ठक विलोप कर दिए जाएंगे;

(ग) क्रमांक 1 में,—

(1) “डीएल धारक व्यक्तिगत विवरण” शीर्षक के स्थान पर “डीएल धारक व्यक्तिगत एवं चिकित्सा विवरण” शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(2) “द्वितीय पहचान संख्या” प्रविष्टि के बाद, “राष्ट्रीयता” प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी;

(3) “रक्त समूह” प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“

अंग दाता (हाँ/नहीं)
कोई भी चिकित्सीय स्थिति या एलर्जी: [अंतिम बार अद्यतन किया गया: _____]
दवाओं/नुस्खे/चिकित्सा प्रत्यारोपणों का विवरण: [अंतिम बार अद्यतन किया गया: _____]";

(4) “आपातकालीन संपर्क नंबर” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्—

आपातकालीन संपर्क व्यक्ति का नाम:
आपातकालीन मोबाइल नंबर:";

(घ) क्रमांक 2 में, जहाँ कहीं भी “अमान्य वाहन” शब्द आते हैं, उनके स्थान पर “अनुकूलित वाहन” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) क्रमांक 5 में,—

- (1) “उल्लंघन की गई धारा/नियम” प्रविष्टि के स्थान पर “उल्लंघन की गई धारा(ओं)/नियम(ओं)/विनियम(ओं)” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (2) संशोधित “उल्लंघन की गई धारा/नियम/विनियम” प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि “डिजिटल रूप से जब्त किए गए दस्तावेजों का विवरण, यदि कोई हो:” अंतःस्थापित जाएगी;
- (3) “अयोग्यता प्रकार (निलंबित/रद्द)” प्रविष्टि के स्थान पर “अयोग्यता प्रकार (निलंबित/रद्द/निरस्त)” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (4) “निपटान तिथि” प्रविष्टि में, “निपटान तिथि” शब्दों के पश्चात्, “और जुर्माना/दंड अदा किया गया” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (5) “समीक्षा प्राधिकरण का नाम” प्रविष्टि के स्थान पर “न्यायालय/निर्णय अधिकारी का नाम” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (6) “टिप्पणियाँ” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्—

न्यायालय/निर्णय अधिकारी की टिप्पणी
अपीलीय अधिकारी का नाम
अपीलीय अधिकारी की टिप्पणी:
यदि कोई ड्राइवर पुनश्चर्या प्रशिक्षण हो तो उसका विवरण:
यदि कोई सामुदायिक सेवा संबंधी विवरण हो तो:
जब्त किए गए दस्तावेज डिजिटल रूप में जारी किए गए, विवरण:
ड्राइविंग लाइसेंस की अयोग्यता/रद्दीकरण/निलंबन/निरसन से संबंधित पूर्व विवरण, यदि कोई हो:”।

17. उक्त नियमों में, प्रपत्र 8 में,—

- (i) “लाइसेंसिंग प्राधिकरण को” शब्दों के पश्चात्, “मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस से निम्नलिखित श्रेणी या श्रेणियों के वाहनों को स्थायी रूप से सरेंडर करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ, जैसा लागू हो: क. बिना गियर वाली मोटर साइकिल; ख. गियर वाली मोटर साइकिल; ग. अनुकूलित वाहन; घ. हल्का मोटर वाहन; ङ. परिवहन वाहन; च. अन्य, जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं है।” शब्द विलोप कर दिए जाएंगे;
- (ii) “आवेदक का नाम” प्रविष्टि के बाद, “पता” और “जन्म तिथि” प्रविष्टियाँ विलोप कर दी जाएंगी;
- (iii) “ड्राइविंग लाइसेंस नंबर” के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“जिन वाहनों के लिए स्थायी रूप से वापस करने (सरेण्डर) की मांग की जा रही है, उनकी श्रेणियां (कृपया वाहनों की श्रेणी या श्रेणियों के सामने सही का निशान लगाएं)”

क. बिना गियर वाली मोटरसाइकिल	
ख. गियर वाली मोटरसाइकिल	
ग. अनुकूलित वाहन	
घ. हल्के मोटर वाहन	
ङ. परिवहन वाहन	
च. ई-रिक्शा	
छ. ई-कार्ट	
ज. अन्य, जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं।	
i. सभी वर्ग	

(iv) “आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान” शब्दों के स्थान पर “आवेदक के हस्ताक्षर” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

18. उक्त नियमों में, अनुलग्नक XI में,—

(i) भाग I में,—

(क) शीर्षक में, “या स्मार्ट कार्ड प्रकार” शब्द लोप कर दिए जाएंगे;

(ख) खंड (क) से (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“(क) लेमिनेटेड कार्ड आईएसओ/आईसी 7810 आईडी-1 के अनुरूप होगा।”

(ग) खंड (झ) और (ज) को क्रमशः खंड (ख) और (ग) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;

(ii) भाग II में,—

(क) खंड (क) के अंत में निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“कार्ड का आकार 85.6 मिमी x 54.02 मिमी होगा, जो आईएसओ/आईसी 7810 के तहत आईडी-1 कार्डों पर लागू स्वीकार्य सीमा के अधीन होगा, और कार्ड की मोटाई 0.7 मिमी से कम नहीं होगी।”

(ख) खंड (ख) में, शब्द और विराम चिह्न “अधिकतम और न्यूनतम मोटाई मापने के लिए, संपर्क (कॉन्टैक्ट) चिप पर भी विचार किया जाएगा। इस प्रकार, संपूर्ण आईसी संपर्क सतह का कोई भी बिंदु कार्ड की आसन्न सतह से 0.10 मिमी ऊपर या 0.10 मिमी नीचे नहीं होगा।” विलोप कर दिए जाएंगे;

(ग) खंड (ग) में, “कार्ड का निर्माण आईएसओ 7816-2 अनुरूप संपर्क चिप (आईसीसी के लिए) के इंसर्ट के साथ, यदि उपलब्ध हो, या आईएसओ 14443 अनुरूप संपर्क रहित चिप के इंसर्ट के साथ, संबंधित एंटेना (पीआईसीसी के लिए), यदि उपलब्ध हो, के साथ बॉन्डेड सामग्री से किया जाएगा।” शब्दों और विराम चिह्नों के स्थान पर “कार्ड का निर्माण दृश्य वैयक्तिकरण के लिए उपयुक्त बॉन्डेड या बहुस्तरीय प्लास्टिक निर्माण होगा।” शब्द और विराम चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) खंड (घ) में, उपखंड (i) में,—

(1) पैरा (1) में, अंक और कोष्ठक “(1)” का लोप किया जाएगा;

(2) उसी पैरा में, “मुड़ने की कठोरता परीक्षण करने के लिए, कार्डों को निम्नलिखित चार विन्यासों में प्रयोग किया जाएगा, अर्थात्:—” शब्दों और विराम चिह्नों के स्थान पर “परीक्षण पूरे प्लास्टिक कार्ड पर लागू होगा।” शब्द और विराम चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(3) उप-पैरा (क), (ख), (ग) और (घ) तथा पैरा (2) का लोप किया जाएगा;

(ड) खंड (ड) में,—

(1) “अक्ष (एक्सिस) ए और ऐक्सिस बी के अनुदिश 250 बार मोड़ने के साथ और कार्ड के संपर्क ऊपर और नीचे दोनों ओर होने पर परीक्षण किए जाने के बाद कार्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से कार्य करते रहेंगे।” शब्दों और विराम चिह्नों के स्थान पर “परीक्षण ऐक्सिस ए और ऐक्सिस बी के अनुदिश 250 बार मोड़ने के साथ, कार्ड के प्रत्येक फलक को ऊपर और नीचे दोनों ओर प्रस्तुत करते हुए किया जाएगा।” शब्द और विराम चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(2) उप-खंड (iii) और (iv) का विलोप किया जाएगा;

(च) खंड (च) में उपखंड (iii) और (iv) का विलोप किया जाएगा;

(छ) खंड (छ) में, उपखंड (ii) में,—

(1) पैरा (घ) का विलोप किया जाएगा;

(2) पैरा (ड) को पैरा (घ) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;

(ज) खंड (झ), (ञ) और (ट) का विलोप किया जाएगा;

(iii) भाग III में, खंड (क) में, “कार्ड की सतहों पर इलेक्ट्रॉनिक और दृश्य दोनों प्रकार से वैयक्तिकरण। आमतौर पर, दृश्य वैयक्तिकरण के लिए डाई सब्लिमेशन प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है।” शब्दों और विराम चिह्नों के स्थान पर “कार्ड की सतहों पर दृश्य वैयक्तिकरण। पीवीसी, एबीएस या पेटजी कार्डों के दृश्य वैयक्तिकरण के लिए रंगीन डाई सब्लिमेशन मुद्रण का उपयोग किया जा सकता है, और लागू कार्ड संरचनाओं के अनुरूप पॉलीकार्बोनेट कार्डों के दृश्य वैयक्तिकरण के लिए लेजर उत्कीर्णन का उपयोग किया जा सकता है।” शब्द और विराम चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11028/05/2026-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. _____ (अ) दिनांक _____ के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2026

G.S.R. 902(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (b), (c), (da), (db), (e), (h), (ff), (i), (k) and (q) of section 27, clause (a) of sub-section (1) of section 139, and section 211A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the *Central Motor Vehicles (.... Amendment) Rules, 2026*.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely,—

“4. Evidence as to the correctness of address, age and identity.—

(1) Every applicant for the issue of a licence under this Chapter shall produce as evidence of his address, any one or more of the following documents in original or relevant extracts thereof duly self attested, namely,—

- (a) Aadhaar Card,
- (b) Elector Photo Identity Card (EPIC Card),
- (c) Passport,
- (d) e-Ration card,
- (e) Service Photo Identity Card issued by Central Government or State Government or a Public Sector Undertaking or any other regulatory or statutory body,
- (f) Pensioner Photo Identity Card or Freedom Fighter Photo Identity Card, or Pension Payment Order issued by Central Government or State Government or a Public Sector Undertaking or any other regulatory or statutory body,
- (g) Electricity bill, not older than three months from the day of making the application,
- (h) Household gas bill, not older than three months from the day of making the application,
- (i) Any other document or documents as may be prescribed by the State Government under clause (k) of Section 28 of the Act,
- (j) Proof of legal presence in India in addition to proof of residence in case of foreigners.

(2) Every applicant for the issue of a licence under this Chapter shall produce as evidence of his age or date of birth, any one or more of the following documents in original or relevant extracts thereof duly self attested, namely,—

- (a) Passport,
- (b) Mark-sheet of certificate issued by a recognised Board of School Education, university, a deemed-to-be university, higher educational institution or Industrial Training Institute established or recognised by the Central Government or a State Government, containing the date of birth of the applicant,
- (c) Birth Certificate issued under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and the rules made thereunder,

- (d) Service Photo Identity Card issued by Central Government or State Government or a Public Sector Undertaking or any other regulatory body or statutory body,
- (e) Pensioner Photo Identity Card or Freedom Fighter Photo Identity Card, or Pension Payment Order issued by Central Government or State Government, or a Public Sector Undertaking or any other regulatory or statutory body,
- (f) Any other document or documents as may be prescribed by the State Government under clause (k) of Section 28 of the Act.

(3) Every applicant for the issue of a licence under this Chapter shall produce as evidence of his identity, any one or more of the following documents in original or relevant extracts thereof duly self attested, namely,—

- (a) Aadhaar Card,
- (b) Valid Indian Passport,
- (c) e-Ration Card,
- (d) Service Photo Identity Card issued by Central Government or State Government or a Public Sector Undertaking or any other regulatory or statutory body,
- (e) Pensioner Photo Identity Card or Freedom Fighter Photo Identity Card, or Pension Payment Order issued by Central Government or State Government or a Public Sector Undertaking or any other regulatory or statutory body,
- (f) Permanent Account Number (PAN).”.

3. In the said rules, rule 6 shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 11,—

(i) in sub-rule (1), —

- (a) for the words “seven days”, the words “fifteen days” shall be substituted;
- (b) after the words “shall complete a tutorial on safe driving”, the words “having a duration of not less than thirty minutes” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (3), for the words and figures “of submitting an application under Rule 10”, the words and figures “from completing such tutorial referred to in sub-rule (1)” shall be substituted;

(iii) in sub-rule (4), for the words and figures “60 per cent”, the words and figures “75 per cent” shall be substituted;

(iv) in sub-rule (5), clauses (c) and (d) shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 14,—

(i) in sub-rule (1), for the words and figures “Form 4”, the words and figures “Form 2” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2),—

- (a) clauses (c) and (d) shall be omitted;
- (b) in clause (e), after the words “valid proof of”, the word “Indian” shall be inserted.

6. In the said rules, in rule 16,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely,—

“(1) Every driving licence issued or renewed by a licensing authority shall be in form of a laminated or Polyvinyl Chloride (PVC) card in Form 7, and the Form shall contain separate formats for driving licences issued or renewed for Indian nationals and foreign nationals, respectively, conforming to the specifications stipulated in Annexure XI.”;

(ii) sub-rule (6) shall be omitted.

7. In the said rules, after rule 16, the following rule shall be inserted, namely,—

“16A. Change in particulars in the driving licence. —

(1) An application for recording a change in the particulars recorded in the driving licence shall be made on the Portal by the holder of such driving licence in Form 2A, accompanied by such valid evidence of correct particulars.

(2) An application submitted in sub-rule (1) may be authenticated after verifying the identity of the applicant through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Central Government.

(3) Within fifteen days from the receipt of the application under sub-rule (1), the licensing authority shall approve the change in particulars in the driving licence or reject with reasons to be recorded in writing which shall be communicated to the applicant, including through electronic means:

Provided that where an application under sub-rule (1) for change of address is neither accepted nor rejected within a period of thirty days, the application shall be deemed to be approved.”.

8. In the said rules, in rule 17A,—

(i) in sub-rule (1), after the words “driving licence held by the applicant”, the words “and appropriate fee as specified in rule 32” shall be omitted;

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely,—

“(2) Within seven days from the receipt of the application under sub-rule (1), the class or classes of motor vehicle for which the application has been made shall be automatically deleted from the applicant’s driving license.”;

(iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely,—

“(4) Any person who permanently surrenders a class or classes from a driving license shall not be eligible to obtain a learner’s license or a driving license for such class or classes, for period of one year from the date of such surrender.”.

9. In the said rules, in rule 32,—

(i) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely,—

“Provided further where any service is availed through online Aadhaar authentication, no fee shall be charged.”;

(ii) In the TABLE, in serial number 13,—

(a) in column (2), for the words “change in address or any other particulars recorded in the driving licence e.g. address etc.”, the words “change in name or any other particulars of the holder of driving licence recorded in the driving licence” shall be substituted;

(b) in column (3), for the words “Two hundred rupees”, the words “No fee shall be levied” shall be inserted;

(c) in column (4), the figures, letters and brackets “16A (1), 17A (1)” shall be inserted;

(iii) after Serial Number 13 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely,—

Sl. No.	Purpose	Amount	Rules	Section
“13A	Change in address in the driving licence or updation of mobile number or e-mail id.	No fee shall be levied	16A”.	

10. In the said rules, in rule 81, in Serial Number 7, in column (3), for the words and figures “Half of the fee mentioned against Serial No. 4. Note: In case of delay in submitting ‘No Objection Certificate’ for change of residence, an additional fee of rupees three hundred for delay of each month or part thereof in case of motor cycles and five hundred rupees for each month of delay or part thereof for other vehicles shall be levied”, the words “No fee shall be levied” shall be substituted.

11. In the said rules, in Form 1A,—

(i) in the heading, for the brackets, words and figures “[See Rules 5(1), (3), 7, 10(a), 14(d) and 18(d)]”, the brackets, words and figures “[See rules 5(1), 5(3), 7, 10(a), 14(d) and 18(d)]” shall be substituted;

(ii) on the top right hand side, after the words “Space for passport size photograph”, the brackets, words and figures “[Upload the photo for online application of the size not more than 1 MB. Face should occupy 70% of the frame. Use of plain white background with adequate lighting. Digital coloured photos should have a resolution between 900 x 1200 pixels and 2250 x 3000 pixels.]” shall be inserted;

(iii) for serial numbers 1, 1A, 1B and 1C, the following serial numbers shall be substituted, namely,—

“

1.	Whether applicant is an existing licence holder	Yes/No
1A.	Driving Licence Number (to be filled where S. No. 1 is marked “Yes”)	
1B.	Aadhaar, whether available	Yes/No
1C.	Name of the Applicant	
1D.	Son/wife/daughter of	
1E.	Address	
1F.	Date of Birth	

”;

(iv) for entry (g), the following shall be substituted, namely,—

“(g) Blood group and RH factor of the applicant”;

(v) after entry (g), the following Note shall be inserted, namely,—

“**Note:**

1. Where the applicant has indicated “Yes” in serial number 1 and has furnished the Driving Licence Number in serial number 1A, the particulars specified in serial numbers 1C, 1D, 1E and 1F shall be auto-fetched from the SARATHI portal.

2. Where the applicant has indicated “No” in serial number 1, the particulars specified in serial numbers 1B, 1C, 1D and 1E shall be filled in by the applicant.

3. Notwithstanding anything contained in these rules, where an applicant is eligible to obtain an Aadhaar number but is not an Aadhaar number holder, the signature of such applicant shall be attested by a witness, who holds a Driving Licence and is an Aadhaar number holder, in the presence of medical practitioner.

4. If an applicant selects “No” in serial numbers 1B, the following drop-down message shall be given to the applicant:

“Your signature shall be attested by a witness, who holds a Driving Licence and is an Aadhaar number holder, in the presence of medical practitioner.”;

(vi) In the heading, Certificate of Medical Fitness, after the words “to drive a vehicle other than an adapted vehicle.”, the words and punctuation mark “The applicant is not medically fit to hold a licence for the following reasons:-” shall be omitted;

(vii) for the entry “Signature or thumb impression of the candidate”, the entry “Signature/Digital signature/ E-signature of the candidate” shall be substituted;

(viii) After the words and punctuations, “Signature/Digital signature/ E-signature of the candidate”, the following words and punctuations shall be inserted, namely,—

“In case of the candidate does not possess an Aadhaar number, the signature of such candidate shall be attested by a witness:

Name of Witness: _____

Driving Licence Number of Witness: _____

.....

(Signature of Witness)”;

(ix) In serial number 2 of the note, for the words “Dumb persons”, the words “Persons with speech and language disability but” shall be substituted.

12. In the said rules, in Form 2,—

(i) In the heading,—

(a) for the words and figures “[Refer Rules 10, 14, 17 and 18]”, the words and figure “[Refer Rules 10 and 14]” shall be substituted;

(b) the words “OR ADDITION OF A NEW CLASS OF VEHICLE OR RENEWAL OF DRIVING LICENCE OR ISSUE OF DUPLICATE DRIVING LICENCE OR CHANGE OF ADDRESS OR NAME PARTICULARS” shall be omitted;

(ii) on the top right hand side, for the words, brackets and figures “Space for passport size photograph (Upload the photo for online application of the size not more than 50KB)”, the words, figures and brackets “Space for passport size photograph (Upload the photo for online application of the size not more than 1 MB. Face should occupy 70% of the frame. Use of plain white background with adequate lighting. Digital coloured photos should have a resolution between 900 x 1200 pixels and 2250 x 3000 pixels.)” shall be substituted;

(iii) in the table with the heading “Services applying for”,—

(a) for the heading “Services applying for (Please Tick mark against single or multiple-service, wherever applicable)”, the heading “Services applying for (Please select single or multiple service(s), wherever applicable)” shall be substituted;

(b) in the first and second entry, the word “New” shall be omitted;

(c) after the first and second entry, all the entries shall be omitted;

(iv) In serial number 1,—

(a) in the heading of the table,—

(1) the word “New” wherever it may occur shall be omitted;

(2) after the word “Driving Licence”, the words and brackets “(Please Select)” shall be inserted.

(b) in Explanation, for serial numbers 1, 2, 3, 4 and 5, the following serial numbers shall be substituted:

Explanation :
1. Non-Transport Vehicles means a vehicle other than a Transport Vehicle;
2. Transport vehicle means a vehicle defined under section 2(47) of the Act;
3. Light motor vehicle means a vehicle as defined under section 2(21) of the Act;
4. Medium goods vehicle means a vehicle as defined under section 2(23) of the Act;
5. Heavy goods vehicle means a vehicle as defined under section 2(16) of the Act.

(v) In the table under serial number 2, the following table shall be substituted, namely,—

“Details of Aadhaar		Aadhaar Number
Name to be displayed in card:		
Complete name for the record, where complete name is lengthier than the displayed name:		
Care of:		
Date of birth:		
Identification mark:		
Gender (Tick)	Male Female Transgender Others	Nationality:
Educational qualification		Blood Group (mandatory)
Email (optional)		Mobile Number (mandatory;)
Emergency Contact Name		
Emergency Contact Mobile Number (mandatory;);		

(vi) the table under serial number 3 shall be omitted;

(vii) the table under serial number 4 shall be re-numbered as serial number 3, and the following heading and table shall be substituted, namely,—

“3. Address (proof to be enclosed, in case of Learner’s Licence or Driving Licence)

	<i>Present Address (shall be printed on Licence)</i>
Pin Code	
State	
District	
Sub-District	
Village/Town/City	
Landmark	
Street	
House No./Building/Flat No.	

Note: Details in the aforesaid table shall, where available, be auto-fetched from the SARATHI portal; in other cases, the same shall be furnished by the applicant.”;

(viii) the table in serial number 5 shall be omitted;

(ix) the table in serial number 6 shall be omitted;

(x) serial number 7 shall be re-numbered as serial number 4;

(xi) in serial number 4 so re-numbered,—

- in the heading, the words “and tick” shall be omitted;
- after the word “DECLARATION”, the word and brackets “(Mandatory)” shall be inserted;

(xii) Under the heading Self-Declaration as to Physical Fitness,—

(a) in the heading, after the words “Self-Declaration as to Physical Fitness”, the words and brackets “and Medical Conditions [Please select]” shall be inserted;

(b) serial number (a) shall be substituted by the following, namely,—

“(a) Do you suffer from seizure disorder or epilepsy?”	Yes/No
(i) Whether you had any seizure during the last three years?	Yes/No
(ii) Whether you are currently taking anti-epileptic medication?	Yes/No
(iii) Whether the anti-epileptic medication is being reduced/tapered?	Yes/No”;

(c) in serial number (e), for the words, brackets and punctuation mark “Are you so deaf so as to be unable to hear (and if the application is for driving a light motor vehicle, with or without hearing aid) the ordinary sound signal?”, the words, brackets and punctuation mark “Do you have any hearing impairment which may affect your ability to hear ordinary sound signals (with or without the use of a hearing aid), in the case of an application for a light motor vehicle?” shall be substituted;

(d) in serial number (f),—

(1) after the words “any other disease or disability”, the words “or medical conditions” shall be inserted;

(2) after the words “source of danger to the public, if so, give details.”, the words and bracket “(This information shall be used only in case of hospitalization due to road accident.)” shall be inserted;

(e) after serial number (f), the following rows and columns shall be inserted, namely,—

“(g) Do you suffer from any allergic reaction to medications, if so, give details. (This information shall be used only in case of hospitalization due to road accident.)	
“(h) Whether you have any medical or surgical implants in your body, if so, give details. (This information shall be used only in case of hospitalization due to road accident.)	
“(i) Any other medical details you want to specify (This information shall be used only in case of hospitalization due to road accident.)	(Any relevant supporting document to be uploaded)”;

(f) for the entry “Signature or thumb expression of the applicant”, the entry “Signature of the applicant” shall be substituted;

(g) for the Note, the following Note shall be substituted, namely,—

“**Note:** (1) An applicant who answers “Yes” to question (a) and additionally answers “Yes” to sub-questions (a)(i), (a)(ii), or (a)(iii), shall not be medically cleared for issuance of learner’s licence or driving licence or addition of a new class of vehicle or renewal of driving licence or issue of duplicate driving licence, as the case may be.

(2) An applicant who answers “Yes” to any of the questions (a), (c), (d), (e), (f), (g) and (h) or “No” to questions (b) should amplify his answers with full particulars, and may be required to give further information relating thereto.”;

(xiii) In the entry Declaration Under sub-section (2) of section 7 of the Motor Vehicles Act, 1988,—

(a) for the words and punctuation marks “son/daughter..... of, the words and punctuation marks “bearing Aadhaar number” shall be substituted;

(b) after the words “consent for his/her obtaining the learner’s licence.”, the following Note shall be inserted, namely,—

“[**Note:** The entry field for name and Aadhaar number shall be auto-filled from details provided above in S. No. 2. Personal details of the Applicant];”

(c) after the words “Name of the parent/guardian:”, the following shall be inserted, namely,—

“Driving License Number of parent/guardian:”

(d) after the words and punctuations, “Signature of the parent/guardian” the following note shall be inserted namely,—

“[**Note:** The details of mobile number of parent/guardian shall be auto-fetched from VAHAN portal. A drop-down list shall be provided for relationship with the applicant.];”

(xiv) In the table under the entry FOR OFFICE USE ONLY,—

(a) the rows and columns in serial number 1 and 2 shall be omitted;

(b) serial number 3 shall be re-numbered as serial number 1;

(c) in column 1 of serial number 1 so re-numbered, for the words and figures “Sub-rule (1) of Rule 11”, the words and figures “Sub-rule (3) of Rule 11” shall be substituted;

- (d) in column 3 of serial number 1 so re-numbered, after the words “Pass/Fail/Absent”, the word and punctuation “/Exempted” shall be omitted;
- (e) before the words “Signature of licensing authority”, the word and punctuation mark “e-Signature/” shall be inserted;

(xv) In the entry ANNEXURE,—

- (a) for the words and punctuation mark “Proof of Address and Age.”, the words and punctuation mark “Proof of Address, Identity and Age.” shall be substituted;
- (b) the words and brackets “(Select only one if the proof is common for Address and Age)” shall be omitted;
- (c) after the heading, the following note shall be inserted namely,—

“Note:

1. As per rule 4 of Central Motor Vehicles Rules, 1989.
2. A drop-down menu of the documents specified under rule 4 mentioned above, shall be given on the portal.
3. The portal shall record the relevant particulars of the document submitted under rule 4, including the name of the issuing authority, date of issue and identification number or other unique number.”;

(d) serial numbers 1 to 10 shall be omitted;

(e) under the heading “Other documents to be enclosed or uploaded if applicable”,—

- (1) serial number 1 shall be omitted;
- (2) serial numbers 2 and 3 shall be re-numbered as serial numbers 1 and 2, respectively;
- (3) in serial number 1 so re-numbered, the words “is applying for renewal and” shall be omitted;
- (4) after serial number 2 so re-numbered, the following serial number 3 shall be inserted, namely,—
“3. Driving Certificate issued by Accredited Driving Training Centre in Form 5B”;
- (5) serial numbers 6, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 shall be omitted.

13. In the said rules, after form 2, the following form shall be inserted, namely,—

“FORM 2A

[Refer Rules 16A, 17, 18 and 18A]

FORM FOR ADDITION OF A NEW CLASS OF VEHICLE OR RENEWAL OF DRIVING LICENCE OR ISSUE OF DUPLICATE DRIVING LICENCE OR CHANGE OF ADDRESS OR NAME OR OTHER PARTICULARS

To, The Licensing Authority
--

Services applying for (Please select single or multiple-service(s), wherever applicable)	
Addition of Class of Vehicle to Driving Licence	
Renewal of Driving Licence	
Duplicate Learner's Licence	
Duplicate Driving Licence	
Change/Correction of Address in Driving Licence	(particulars to be specified)
Change/Correction of Name in Driving Licence	
Change of particulars, including updation of medical conditions	

1. Class of Vehicles (COV): Applicable for Addition of New Class of Vehicle to the Licence (Please select)

Motor Cycle Without Gear (MCWOG)	
Motor Cycle With Gear (MCWG)	
Light Motor Vehicle	
Adapted Vehicle (vehicles for use by Divyang)	
Medium or Heavy Goods or Passenger Vehicle as Transport Vehicle	
E-Rickshaw	
E-Cart	
Others: which is not covered in any of the above categories including, Harvester, Excavator, Fork lift, Trailers, Crane mounted vehicles, Agricultural tractor and power tiller, Tow trucks, Breakdown Van and Recovery vehicles, Construction equipment vehicles.	

2. Name: Applicable in case of Change of Name of the License Holder

Name to be displayed in card:
Complete name for the record, where complete name is lengthier than the displayed name:

3. Address: Applicable in case of Change of Address (proof to be enclosed)

	<i>New Address</i>
Pin Code	
State	
District	
Sub-District	
Village/ Town/City	
Landmark	
Street	
House No./Building/Flat No.	

Note: Details in the aforesaid table shall, where available, be auto-fetched from the SARATHI portal; in other cases, the same shall be furnished by the applicant.

4. In case of request for Addition of a Class of Vehicle in Transport Category, please fill the following:

Driving School Number			
Driving School Name			
Enrollment number in the Driving School			
Enrollment date in the Driving School			
Certificate number issued by the Driving School			
Certificate date as issued by the Driving School			
Training period in the Driving School	From date	To Date	

Note: Details in the aforesaid table shall, where available, be auto-fetched from the SARATHI portal; in other cases, the same shall be furnished by the applicant.

5. Particulars of existing Licence

Licence Number			
Class of Vehicle(s)			
Name of the Licencing Authority which issued the Licence			
Validity period	From date		To Date

Note: Details in the aforesaid table shall, where available, be auto-fetched from the SARATHI portal; in other cases, the same shall be furnished by the applicant.

6. List of Documents attached (Please refer to the attached annexure and tick)

Self-Declaration as to Physical Fitness and Medical Conditions for addition of class(es) [Please select]

(a) Do you suffer from seizure disorder / epilepsy?	Yes/No
(i) Whether you had any seizure during the last three years?	Yes/No
(ii) Whether you are currently taking anti-epileptic medication?	Yes/No
(iii) Whether the anti-epileptic medication is being reduced/tapered?	Yes/No
(b) Are you able to distinguish with each eye (or if you have held a driving licence to drive a motor vehicle for a period of not less than five years and if you have lost the sight of one eye after the said period of five years and if the application is for driving a light motor vehicle other than a transport vehicle fitted with an outside mirror on the steering wheel side) or with one eye, at a distance of 25 metres in good day light (with glasses, if worn) a motor car number plate?	Yes/No
(c) Have you lost either hand or foot or are you suffering from any defect of muscular power of either arm or leg?	Yes/No
(d) Do you suffer from night blindness?	Yes/No
(e) Do you have any hearing impairment which may affect your ability to hear ordinary sound signals (with or without the use of a hearing aid), in the case of an application for a light motor vehicle?	Yes/No
(f) Do you suffer from any other disease or disability or medical conditions likely to cause your driving of a motor vehicle to be a source of danger to the public, if so, give details. (This information shall be used only in case of hospitalization due to road accident.)	Yes/No
(g) Do you suffer from any allergic reaction to medications, if so, give details. (This information shall be used only in case of hospitalization due to road accident.)	
(h) Whether you have any medical or surgical implants in your body, if so, give details. (This information shall be used only in case of hospitalization due to road accident.)	
(i) Any other medical details you want to specify (This information shall be used only in case of hospitalization due to road accident.)	(Any relevant supporting document to be uploaded)

I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the particulars given above and the declaration made therein are true.

(Signature of the applicant)

Note: (1) An applicant who answers “Yes” to question (a) and additionally answers “Yes” to sub-questions (a)(i), (a)(ii), or (a)(iii), shall not be medically cleared for issuance of learner’s licence or driving licence or addition of a new class of vehicle or renewal of driving licence or issue of duplicate driving licence, as the case may be.

(2) An applicant who answers “Yes” to any of the questions (a), (c), (d), (e), (f), (g) and (h) or “No” to questions (b) should amplify his answers with full particulars, and may be required to give further information relating thereto.

FOR OFFICE USE ONLY

1. Preliminary Test to check adequate knowledge and understanding of the matters namely traffic signs, traffic signals, duties of driver in case of his vehicle being involved in an accident, or documents to be carried while driving etc., Sub-rule (3) of Rule 11 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989	Date of Test	Result	Testing Authority
		Pass/Fail/Absent	
Driving Test (Rule 15 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989)	Date of Test	Result Pass/Fail	

The Learner’s licence/Driving licence is:	Issued:	Refused:
	e-Signature/Signature of licensing authority (or other person authorised in this behalf)	

ANNEXURE

LIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED OR UPLOADED BY THE APPLICANT

Proof of Address, Identity and Age.

=

Note: 1. As per rule 4 of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

2. A drop-down menu of the documents specified under rule 4 mentioned above, shall be given on the portal.

3. The portal shall record the relevant particulars of the document submitted under rule 4, including the name of the issuing authority, date of issue and identification number or other unique number.

Other documents to be enclosed or uploaded if applicable

1. Medical Certificate in Form-1A (to be provided if the applicant is above 40 years of age or applying for Transport Licence)
2. Driving Certificate issued by Driving School or Establishments in Form 5
3. Driving Certificate issued by Accredited Driving Training Centre in Form 5B
4. Parent or Guardian Declaration in case of applicant who is a minor
5. Photograph
6. Proof of legal presence in India in addition to proof of residence in case of Foreigners
7. Other documents, if any
8. The copy of police complaint made (in case of Driving Licence was lost or mutilated or defaced or damaged, lost)".

14. In the said rules, in Form 3,—

(i) after the word "date", the words "of issue" shall be inserted;

(ii) on the top right hand side, for the words "Name to be written across the photograph Specimen signature/thumb impression of the holder of the licence Signature and seal of the licensing authority", the words and figures "[Upload the photo for online application of the size not more than 1 MB. Face should occupy 70% of the frame. Use of plain white background with adequate lighting. Digital coloured photos should have a resolution between 900 x 1200 pixels and 2250 x 3000 pixels.]" shall be substituted;

(iii) in serial number 2, for the words "Son/wife/daughter", the word "Care" shall be substituted;

(iv) in serial number 4, for the words and punctuation mark "Optional ----- Blood Group RH Factor", the words "Blood group and RH Factor" shall be substituted;

(v) in serial number 5, for the words "Present/permanent address Temporary/official (if any)", the words "Present address" shall be substituted;

(vi) after serial number 5, the following serial numbers shall be inserted, namely,—

"6. Mobile Number:

7. Emergency Contact Mobile Number";

(vii) serial number 6 shall be re-numbered as serial number 8;

(viii) after serial number 8 so re-numbered, the following shall be inserted, namely,—

"9. Organ Donor (Yes/No)";

(ix) after the words "The holder of the licence has passed the medical test under rule 5 and the", the word "preliminary" shall be omitted;

(x) after the words "test referred to in rule", for the figure and brackets "11(1)", the figures and brackets "11(3)" shall be substituted;

(xi) after the words "of the Central Motor Vehicles Rules, 1989", the words "The holder of the licence is exempted from the medical test under rule 6 and from preliminary test under rule 11(23) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989." shall be omitted;

(xii) after the words "This licence is valid", the words "for a period of six months from the date of issue" shall be inserted;

(xiii) after the words "for a period of six months from the date of issue" so inserted, the words "from.....to.....* Strike out whichever is inapplicable." shall be omitted;

(xiv) after the Warning, the following Note shall be inserted namely,—

"Note: If any discrepancies in the particulars of the applicant, including the date of birth, is observed in the Learner's Licence, the holder of that Learner's Licence, before applying for grant of driving licence under sub-section (1) of section 9, may submit a written request to rectify any discrepancies along with required original documents to the Licensing Authority in physical form."

15. In the said rules, in Form 4A,—

(i) on the top right hand side, after the words “Space for passport size photograph”, the words and figures “Upload the photo for online application of the size not more than 1 MB. Face should occupy 70% of the frame. Use of plain white background with adequate lighting. Digital coloured photos should have a resolution between 900 x 1200 pixels and 2250 x 3000 pixels.” shall be inserted;

(ii) after serial number 1, serial numbers 2, 3 and 4 shall be omitted, and the following shall be inserted, namely,—

“1A. Valid Indian Passport Number

2. Driving Licence Number

3. Date of Expiry of Driving Licence

4. (a) Address

(b) Mobile

(c) Email ID (optional)”;

(iii) In serial number 5, after the words “Date of Birth”, the words and brackets “(proof to be enclosed)” shall be omitted;

(iv) serial numbers 12, 13, 14 and 16 shall be omitted;

(v) serial numbers 15 shall be re-numbered as serial numbers 12;

(vi) after serial number 12 so re-numbered, the following shall be inserted, namely,—

“**Note:** Upon providing Driving Licence Number in serial number 2, details in serial numbers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 shall be auto fetched from SARATHI portal.”;

(vii) for the words “Signature/Thumb impression of Applicant”, the words “Signature of Applicant” shall be substituted.

16. In the said rules, in Form 7, —

(i) In the heading, the words “(LAMINATED CARD WITHOUT CHIP OR SMART CARD)” shall be omitted;

(ii) Before entry A, the words and figures “I. FOR INDIAN NATIONALS” shall be inserted;

(iii) Under entry A, the image shall be substituted with the following image, namely,—

Indian Union Driving License
Issued by Transport Department XXXX

DL NO. : XXXXXXXXXXXXXXXX

Issue Date DD-MM-YYYY Validity (NT) DD-MM-YYYY Validity (TR)# DD-MM-YYYY

Name XXXXXXXXXXXXXXXX

Nationality Indian

Date of Birth XX-XX-XXXX Blood Group XXXX Organ Donor XXXX

Address XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Emergency Contact Number +XX-XXXXXXXXXXXX Mobile Number +XX-XXXXXXXXXXXX

Date of First Issue (DD-MM-YYYY)

(iv) Under entry B, the image shall be substituted with the following image, namely,—

DL NO : XXX XXXXXXXXXXXX

Adapted Vehicle (Regn. Numbers)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hazardous Validity
DD-MM-YYYY

Hill Validity
DD-MM-YYYY



Class of Vehicle	Issued by	Date of Issue	Vehicle Type	Badge Number	Badge Issued Date	Badge Issued by
 - MCWG	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
 - LMV	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
 - TRANS	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
CNEQP - MVSD	XXX	XX-XX-XXXX	XX			

Licensing Authority
XXXXX XXXX

Form 7 Rule 16 (2)

(v) in serial number 1,—

(a) for the image provided under “A. For front side:”, the following image shall be substituted:

 **Indian Union Driving License**
Issued by Transport Department XXXX

DL NO. : XXXXXXXXXXXXXXXX

Issue Date DD-MM-YYYY Validity (NT) DD-MM-YYYY Validity (TR)# DD-MM-YYYY

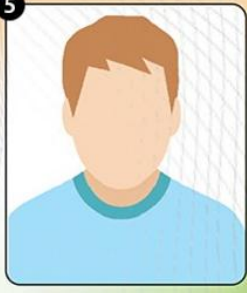
Name XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nationality xxxxxxxx

Date of Birth XX-XX-XXXX Blood Group XXXX Organ Donor XXXX

Address XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Emergency Contact Number +XX-XXXXXXXXXXXX Mobile Number +XX-XXXXXXXXXXXX



Date of First Issue (DD-MM-YYYY)

(b) for the image provided under “B. For reverse side”, the following image shall be substituted:

1 DL NO : XXX XXXXXXXXXXXXX

Adapted Vehicle (Regn. Numbers)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX **2**

3 Hazardous Validity
DD- MM-YYYY

4 Hill Validity
DD- MM-YYYY

8

9

5 Class of Vehicle	10 Issued by	11 Date of Issue	12 Vehicle Type	13 Badge Number	14 Badge Issued Date	15 Badge Issued by
 - MCWG	XXX	XX- XX-XXXX	XX			
 - LMV	XXX	XX- XX-XXXX	XX			
 - TRANS	XXX	XX- XX-XXXX	XX			
CNEQP - MVSD	XXX	XX- XX-XXXX	XX			

7 Form 7 Rule 16 (2)

Licensing Authority **6**
XXXXX XXXX

(vi) After the image so inserted under “B. For reverse side”, the following words and images shall be inserted:

“II. FOR FOREIGN NATIONALS

A. The design of the card on the front side shall include the following data fields in visual form-

 **Indian Union Driving License**
Issued by Transport Department XXXX

DL NO. : XXXXXXXXXXXXXXXX

Issue Date DD-MM-YYYY Validity (NT) DD-MM-YYYY Validity (TR)# DD-MM-YYYY

Name XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nationality XXXXX

Date of Birth XX-XX-XXXX Blood Group XXXX Organ Donor XXXX

Address XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Date of First Issue (DD-MM-YYYY)

Emergency Contact Number +XX-XXXXXXXXXXXX Mobile Number +XX-XXXXXXXXXXXX

B. The design of the card on the reverse side shall include the following data fields in visual form-

DL NO : XXXXXXXXXXXXXXXX

Adapted Vehicle (Regn. Numbers)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hazardous Validity
DD-MM-YYYY

Hill Validity
DD-MM-YYYY



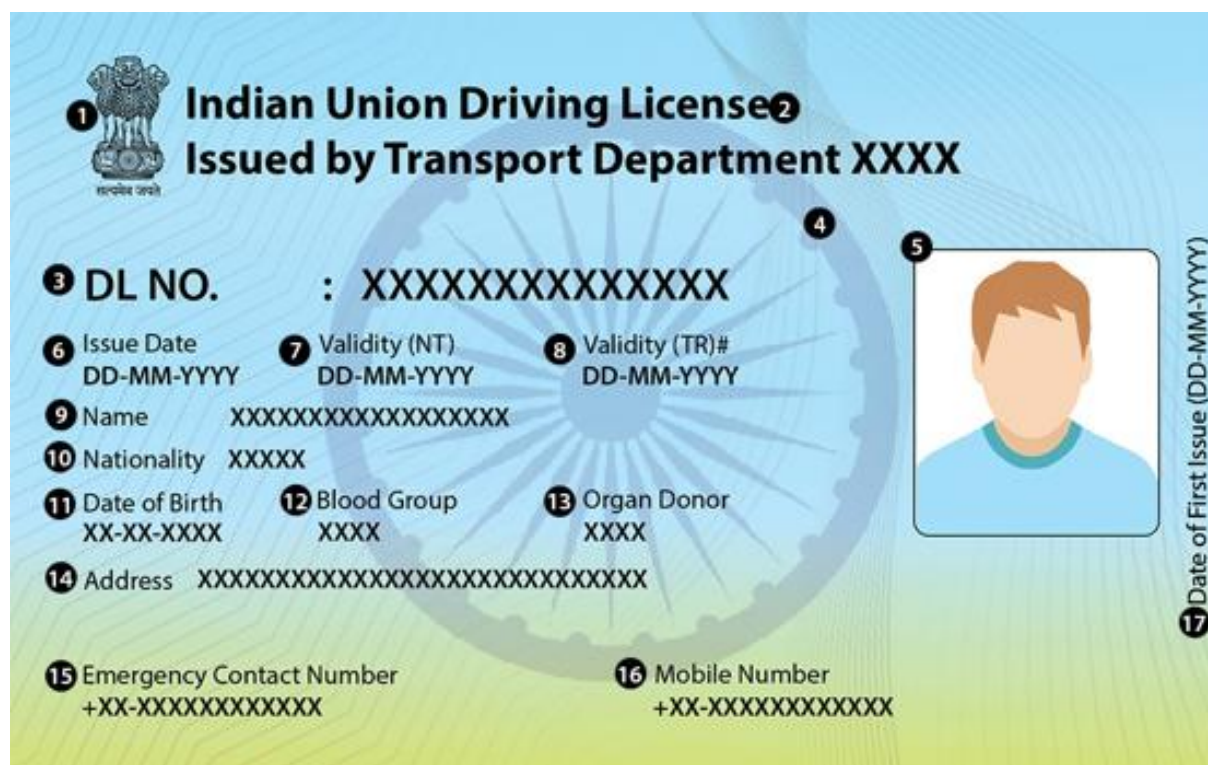
Class of Vehicle	Issued by	Date of Issue	Vehicle Type	Badge Number	Badge Issued Date	Badge Issued by
 - MCWG	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
 - LMV	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
 - TRANS	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
CNEQP - MVSD	XXX	XX-XX-XXXX	XX			

Licensing Authority
XXXXXXXX

Form 7 Rule 16 (2)

1. The details of the features on the card shall be as under, namely,-

A. For front side:



1  **Indian Union Driving License** **2**
Issued by Transport Department XXXX

3 **DL NO.** : XXXXXXXXXXXXXXXX **4**

6 Issue Date DD-MM-YYYY **7** Validity (NT) DD-MM-YYYY **8** Validity (TR)# DD-MM-YYYY

9 Name XXXXXXXXXXXXXXXX

10 Nationality XXXXX

11 Date of Birth XX-XX-XXXX **12** Blood Group XXXX **13** Organ Donor XXXX

14 Address XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15 Emergency Contact Number +XX-XXXXXXXXXXXX **16** Mobile Number +XX-XXXXXXXXXXXX

5  **17** Date of First Issue (DD-MM-YYYY)

B. For reverse side

DL NO : XXXXXXXXXXXXXXXX

Adapted Vehicle (Regn. Numbers)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hazardous Validity
DD-MM-YYYY

Hill Validity
DD-MM-YYYY

QR Code

Licensing Authority
XXXXXXXXXX

Form 7 Rule 16 (2)

Class of Vehicle	Issued by	Date of Issue	Vehicle Type	Badge Number	Badge Issued Date	Badge Issued by
MCWG	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
LMV	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
TRANS	XXX	XX-XX-XXXX	XX			
CNEQP - MVSD	XXX	XX-XX-XXXX	XX			

...”;

(vii) in serial number 2, for the tables, the following tables shall be substituted, namely,—

“2. Specifications. -

(a) Font style and size specifications (for Indian Nationals)							
Front Side				Reverse Side			
Sr. No.	Features	Font Name	Size	Sr. No.	Features	Font Name	Size
1.	National Emblem	Symbol	6.4(W) x 8.7(H)	1.	Driving License Number	Myriad Pro (Bold)	9pt
2.	Card Header	Myriad Pro (Bold)	9.08pt	2.	Adapted Vehicle (Regn. Numbers)	Myriad Pro	5.3pt
3.	Driving License Number	Myriad Pro (Semi Bold)	9pt	3.	Hazardous Validity#	Myriad Pro	5.3pt
4.	Ashoka Chakra	Symbol	35(W) x 35.1(H)	4.	Hill Validity#	Myriad Pro	5.3pt
5.	Photograph	NA	17.6(W) x 20.5(H)	5.	Vehicle Class	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt

6.	Issue Date	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	6.	Licensing Authority	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
7.	Validity (NT)	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	7.	Form 7 Rule 16(2)	Myriad Pro	5.3pt
8.	Validity (TR)#	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	8.	QR Code	Symbol	11.3(W) x 11.3(H)
9.	Name	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	9.	Ashoka Chakra	Symbol	35(W) x 35.1(H)
10.	Nationality	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	10.	Issued By	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
11.	Date of Birth	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	11.	Date of Issue	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
12.	Blood Group	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	12.	Vehicle Type	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
13.	Organ Donor	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	13.	Badge Number	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
14.	Address	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	14.	Badge Issued Date	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
15.	Emergency Contact Number	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	15.	Badge Issued By	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
16.	Mobile Number	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt				
17.	Date of First Issue	Myriad Pro	5.3pt				

(b) Font style and size specifications (for foreign nationals)

Front Side				Reverse Side			
Sr. No.	Features	Font Name	Size	Sr. No.	Features	Font Name	Size
1.	National Emblem	Symbol	6.4(W) x 8.7(H)	1.	Driving License Number	Myriad Pro (Bold)	9pt

2.	Card Header	Myriad Pro (Bold)	9.08pt	2.	Adapted Vehicle (Regn. Numbers)	Myriad Pro	5.3pt
3.	Driving License Number	Myriad Pro (Semi Bold)	9pt	3.	Hazardous Validity#	Myriad Pro	5.3pt
4.	Ashoka Chakra	Symbol	35(W) x 35.1(H)	4.	Hill Validity#	Myriad Pro	5.3pt
5.	Photograph	NA	17.6(W) x 20.5(H)	5.	Vehicle Class	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
6.	Issue Date	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	6.	Licensing Authority	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
7.	Validity (NT)	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	7.	Form 7 Rule 16(2)	Myriad Pro	5.3pt
8.	Validity (TR)#	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	8.	QR Code	Symbol	11.3(W) x 11.3(H)
9.	Name	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	9.	Ashoka Chakra	Symbol	35(W) x 35.1(H)
10.	Nationality	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	10.	Issued By	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
11.	Date of Birth	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	11.	Date of Issue	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
12.	Blood Group	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	12.	Vehicle Type	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
13.	Organ Donor	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	13.	Badge Number	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
14.	Address	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	14.	Badge Issued Date	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
15.	Emergency Contact Number	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt	15.	Badge Issued By	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt
16.	Mobile Number	Myriad Pro (Semi Bold)	5.3pt				
17.	Date of First Issue	Myriad Pro	5.3pt				

(c) Background Colour Details (For licence issued to Indian nationals)					
Front Side			Reverse Side		
Sr. No.	Hex Code	Print Colour	Sr. No.	Hex Code	Print Colour
1.	#F2A81D	C:0 M:31 Y:88 K:5	C1.	#F2A81D	C:0 M:31 Y:88 K:5
2.	#F7E2B0	C:0 M:9 Y:29 K:3	C2.	#F7E2B0	C:0 M:9 Y:29 K:3
3.	#D8F0C8	C:10 M:0 Y:17 K:6	C3.	#D8F0C8	C:10 M:0 Y:17 K:6
4.	#FFFFFF	C0: M:0 Y:0 K:0	C4.	#FFFFFF	C0: M:0 Y:0 K:0

(d) Background Colour Details (For licence issued to foreign nationals)					
Front Side			Reverse Side		
Sr. No.	Hex Code	Print Colour	Sr. No.	Hex Code	Print Colour
1.	#9DD9F4	C:36 M:11 Y:0 K:4	1.	#9DD9F4	C:36 M:11 Y:0 K:4
2.	#C0E4DF	C:16 M:0 Y:2 K:11	2.	#C0E4DF	C:16 M:0 Y:2 K:11
3.	#CFE39C	C:9 M:0 Y:31 K:11	3.	#CFE39C	C:9 M:0 Y:31 K:11
4.	#D5E37C	C:6 M:0 Y:45 K:11	4.	#D5E37C	C:6 M:0 Y:45 K:11

(viii) Under the heading Machine Readable Zone,—

(a) for the words “Machine Readable” wherever they occur, the words “QR Code Readable” shall be substituted;

(b) before the words “The concerned State Governments shall”, the words and brackets “(applicable only if opted for Smart Card)” shall be omitted;

(c) in serial number 1,—

(1) for the heading “DL Holder Personal Details”, the heading “DL Holder Personal and Medical Details” shall be substituted;

(2) after the entry “Second Identification Number”, the entry “Nationality” shall be inserted;

(3) after the entry “Blood Group”, the following shall be inserted, namely,—

“

Organ Donor (Yes/No)
Any medical condition or allergies: [last updated on: _____]
Details of medications/prescriptions/medical implants: [last updated on: _____];

(4) for the entry “Emergency Contact Number”, the following entries shall be inserted, namely,—

“Emergency Contact Name:
Emergency Mobile Number:”;

(d) in serial number 2, for the words “Invalid Carriage” wherever they occur, the words “Adapted Vehicle” shall be substituted;

(e) in serial number 5,—

(1) for the entry “Section/Rule violated”, the entry “Section(s)/Rule(s)/Regulation(s) violated” shall be substituted;

(2) after the entry “Section(s)/Rule(s)/Regulation(s) violated” so amended, the following entry “Digitally impounded document(s) details, if any:” shall be inserted;

(3) for the entry “Disqualification Type (Suspended/Cancelled)”, the words “Disqualification Type (Suspended/Cancelled/Revoked)” shall be substituted;

(4) in the entry “Settlement Date”, after the words “Settlement Date”, the words “and Fine/Penalty Paid” shall be inserted;

(5) for the entry “Review Authority Name”, the words “Court/Adjudicating Officer Name” shall be substituted;

(6) for the entry “Remarks”, the following entries shall be substituted, namely,—

“Remarks of Court/Adjudicating Officer
Appellate Officer Name
Remarks of Appellate Officer:
Driver Refresher Training details, if any:
Community Service details, if any:
Impounded document(s) released digitally, details:
Earlier details of disqualification/revocation/suspension/cancellation of driving licence, if any:”.

17. In the said rules, in Form 8,—

(i) After the words “To The Licensing Authority”, the words “I hereby apply for permanent surrender of the following class or classes of vehicles from my driving license, as applicable: a. Motor cycle without gear; b. Motor cycle with gear; c. Adapted Vehicle; d. Light Motor Vehicle; e. Transport Vehicle; f. Others, which is not covered in any of the above categories.” shall be omitted;

(ii) After the entry “Name of the Applicant”, entries “Address” and “Date of Birth” shall be omitted;

(iii) After the entry “Driving Licence Number”, the following shall be inserted, namely,—

“Class(es) of vehicles for which permanent surrender is being sought (Please tick mark against the class or classes of vehicles)”

a. Motor cycle without gear	
b. Motor cycle with gear	
c. Adapted Vehicle	
d. Light Motor Vehicle	
e. Transport Vehicle	
f. e-rickshaw	
g. e-cart	
h. Others, which is not covered in any of the above categories.	
i. All class(es)	

(iv) for the words “Signature/Thumb impression of Applicant”, the words “Signature of Applicant” shall be substituted.

18. In the said rules, in Annexure XI,—

(i) in Part I,—

- (a) in the heading, the words “or Smart Card type” shall be omitted;
- (b) for clauses (a) to (h), the following clause shall be substituted, namely,—
“(a) The Laminated Card shall be compliant to ISO/IEC 7810 ID-1.”;
- (c) clauses (i) and (j) shall be re-numbered as clauses (b) and (c), respectively;

(ii) in Part II,—

- (a) in clause (a), at the end, the following clause shall be inserted, namely,—
“The card shall measure 85.6 mm x 54.02 mm, subject to the tolerances applicable to ID-1 cards under ISO/IEC 7810, and the thickness of the card shall not be less than 0.7 mm.”;
- (b) in clause (b), the words and punctuations “For measuring the maximum and minimum thicknesses, the contact chip shall also be considered. Thus, no point of the entire IC contact surface shall be higher than 0.10 mm above or lower than 0.10 mm below the adjacent surface of the card.” shall be omitted;
- (c) in clause (c), for the words and punctuations “The card construction shall be made of bonded materials with inserts of the ISO7816-2 compliant contact chip (for ICC) if provided, or with inserts of the ISO14443 compliant contactless chip with associated antenna (for PICC), if provided.”, the words and punctuations “The card construction shall be bonded or multi-layered plastic construction suitable for visual personalisation.” shall be substituted;
- (d) in clause (d), in sub-clause (i),—
 - (1) in paragraph (1), the figure and brackets “(1)” shall be omitted;
 - (2) in the same paragraph, for the words and punctuations “For carrying out the bending stiffness test, the cards shall be exercised in the following four configurations, namely:—”, the words and punctuations “The test shall be applicable to the plastic card as a whole.” shall be substituted;
 - (3) sub-paragraphs (a), (b), (c) and (d) and paragraph (2) shall be omitted;
- (e) in clause (e),—
 - (1) for the words and punctuations “The cards shall continue to work electronically after the test is performed with 250 bending each along axis A and axis B and with card contacts facing upwards as well as downwards.”, the words and punctuations “The test shall be performed with 250 bending each along axis A and axis B, with each face of the card presented upwards as well as downwards.” shall be substituted;
 - (2) sub-clauses (iii) and (iv) shall be omitted;
- (f) in clause (f), sub-clauses (iii) and (iv) shall be omitted;
- (g) in clause (g), in sub-clause (ii),—
 - (1) paragraph (d) shall be omitted;
 - (2) paragraph (e) shall be re-numbered as paragraph (d);
- (h) clauses (i), (j) and (k) shall be omitted;

(iii) in Part III, in clause (a), for the words and punctuations “personalisation - electronic as well as visual on the card surfaces. Typically, dye sublimation printing is used for visual personalisation.”, the words and punctuations “visual personalisation on the card surfaces. Colour dye sublimation printing may be used for the visual personalisation of PVC, ABS or PetG cards, and laser engraving may be used for visual personalisation of polycarbonate cards, consistent with the applicable card constructions.” shall be substituted.

[F. No. RT-11028/05/2026-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was lastly amended vide notification number ppG.S.R. ____ (E) dated the ____.